उत्कृष्ट पुलिस थाने

2025

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

Innser side of Front cover

अमित शाह

सत्यमेव जयते

गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री
भारत सरकार

संदेश

'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की प्रबल भावना के साथ इस 'अमृत काल' में माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा देश विकसित भारत बनने की दिशा में चहु ओर तीव्र गति से विकास कर रहा है। पुलिस प्रणाली में सुधार और आधुनिकीकरण सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में शामिल है और इसके लिये कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं, जैसे कि तीन नए आपराधिक न्याय कानूनों का कार्यान्वयन, पुलिस टैक्नोलॉजी मिशन की स्थापना, आई.सी.जे.एस. और सी.सी.टी.एन.एस. द्वारा पुलिस से संबंधित डेटा-बेस का रखरखाव।

वर्ष 2025 में पुलिस स्टेशनों के सर्वेक्षण हेतु उनके सी.सी.टी.एन.एस. के डेटा-बेस की समीक्षा की गई और फिर विभिन्न पहलुओं जैसे कि अपराध के आँकडे, बुनियादी ढाँचे, नागरिक प्रतिक्रिया, स्वच्छता, आईटी संसाधन, फोरेंसिक, पुलिस संचार और डिजिटल रिकार्ड, सक्रिय पहलों इत्यादि, पर उनका जमीनी सर्वेक्षण भी किया गया। सर्वेक्षण उपरांत यह रिपोर्ट जारी की जा रही है जिसमें सर्वेक्षण से प्राप्त देश के सर्वश्रेष्ठ एवं प्रत्येक राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों का उल्लेख किया गया है।

पुलिस थानों की रैंकिंग की वार्षिक प्रक्रिया का उद्देश्य थानों के बीच रचनात्मक प्रतिस्पर्धा लाना और थानों के कामकाज में और अधिक दक्षता लाने तथा उनके प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए उन्हें प्रेरित करना है। सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों का कामकाज सबसे बेहतरीन अभ्यास है और इसे अन्य पुलिस थानों द्वारा अपनी मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार अपनाया जा सकता है।

मैं शीर्ष रैंक वाले सभी पुलिस थानों के अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों का निष्ठा और समर्पण के साथ निर्वहन करने के लिए बधाई देता हूँ। मैं राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों का मंत्रालय को दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे यह विश्वास है कि शीर्ष रैंक वाले पुलिस थाने, अन्य पुलिस थानों के कामकाज में उल्लेखनीय बदलाव हेतु उन्हें प्रेरित करने का काम करेंगे।

(अमित शाह)

कार्यालय : गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली-110001
दूरभाष : 23092462, 23094686, फैक्स : 23094221
ई-मेल : hm@nic.in

नित्यानन्द राय
NITYANAND RAI

सत्यमेव जयते

गृह राज्य मंत्री
भारत सरकार
कर्तव्य भवन–3, नई दिल्ली – 110001
MINISTER OF STATE FOR
HOME AFFAIRS
GOVERNMENT OF INDIA
KARTAVYA BHAVAN-3,
NEW DELHI - 110001

संदेश

माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारा देश विकसित भारत बनने हेतु प्रगति के मार्ग पर अनवरत अग्रसर है। इस कड़ी में अन्य कार्यों के अलावा, गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस स्टेशनों का वार्षिक मूल्यांकन किया जाता है जिसमें पुलिस सेवा से संबंधित विभिन्न आकडों के साथ-साथ पुलिस सेवा क्षेत्र में भौतिक कार्यों की भी पूर्ण समीक्षा की जाती है।

पुलिस स्टेशनों का मूल्यांकन पुलिस स्टेशनों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करता है जिससे उन्हें और अधिक कुशल तथा नागरिक मित्र बनने की प्रेरणा मिलती है। शीर्ष रैंकिंग वाले पुलिस स्टेशन विभिन्न क्षेत्रों जैसे शहरों, कस्बों और गांवों में स्थित हैं जो यह दर्शाता है कि उपलब्ध संसाधनों के साथ, पुलिस कर्मचारी अपने कर्तव्यों को समर्पण और ईमानदारी के साथ निभा रहे हैं।

सर्वेक्षण के सुचारू संचालन हेतु मैं राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किये गये सहयोग की हृदय से सराहना करता हूँ। साथ ही मैं शीर्ष रैंक वाले पुलिस स्टेशनों के थाना प्रभारियों और अन्य पुलिस कर्मियों को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए बधाई देता हूँ।

(नित्यानन्द राय)

नई दिल्ली।
17 नवम्बर , 2025

Office Tel. : 011-24010311, 24010312

गोविंद मोहन, भा.प्र.से.
GOVIND MOHAN, IAS

सत्यमेव जयते

गृह सचिव
Home Secretary
भारत सरकार
Government of India
कर्तव्य भवन–3 / Kartavya Bhavan-3
नई दिल्ली / New Delhi

संदेश

तेज़ गति से बदलती दुनिया के अनुरूप भारत की पुलिस व्यवस्था में कई सुधार हुए हैं। पुलिस बलों का आधुनिकीकरण, बुनियादी ढाँचे और दृष्टिकोण, दोनों ही दृष्टि से, सरकार की प्राथमिकता रही है। देश भर के पुलिस थानों का वार्षिक मूल्यांकन न केवल हमारे पुलिसकर्मियों की कड़ी मेहनत को पहचान देता है, बल्कि पुलिस व्यवस्था के कई पहलुओं पर प्रतिक्रिया भी प्रदान करता है।

2. वार्षिक सर्वेक्षण सी.सी.टी.एन.एस. डेटाबेस के व्यापक उपयोग और तृतीय-पक्ष एजेंसी द्वारा किए गए क्षेत्रीय सर्वेक्षणों के माध्यम से किया जाता है। पुलिस थानों का चयन महिलाओं और कमजोर वर्गों के विरुद्ध अपराधों, संपत्ति अपराधों और गुमशुदा व्यक्तियों के मामलों के आधार पर किया गया। अपराध और प्रदर्शन-आधारित मूल्यांकन के कुछ मानदंडों में पुलिस थानों का बुनियादी ढाँचा और नागरिकों की प्रतिक्रिया शामिल थी। स्वच्छ भारत मिशन को ध्यान में रखते हुए, पुलिस थानों में स्वच्छता अभियान भी सर्वेक्षण का एक प्रमुख मानदंड था। इसके अतिरिक्त, आईटी सुविधाएँ, फोरेंसिक बुनियादी ढाँचा, पुलिस रेडियो संचार और अभिलेखों का डिजिटलीकरण मूल्यांकन के अन्य मानदंड थे। नागरिकों की चिंताओं को बेहतर ढंग से दर्शाने के लिए सर्वेक्षण के नागरिक इंटरफ़ेस को भी नया रूप दिया गया है। इस वर्ष के सर्वेक्षण में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

3. मैं सर्वेक्षण के सुचारू संचालन में सहयोग के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को धन्यवाद देता हूं, जो सभी हितधारकों के लिए मूल्यवान होगा।

4. मैं इस अवसर पर इन शीर्ष पुलिस थानों के अधिकारियों को अपनी शुभकामनाएँ देता हूँ। मेरा यह भी मानना है कि ये पुलिस थाने नागरिकों के बीच पुलिस की छवि सुधारने और उनकी वाजिब उम्मीदों पर खरा उतरने में एक मिसाल कायम कर रहे हैं।

(गोविंद मोहन)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 17.11.2025

Room No. 35101, 5th Floor, Kartavya Bhavan-3, Janpath, New Delhi-110001
Phone : +91-11-24010001-02, E-mail : hshso@nic.in

विषय सूची

1. परिचय 6

2. चयन एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया 7

चयन की प्रक्रिया.....7

मूल्यांकन की प्रक्रिया 9

भाग-1: अभिलेख आधारित मूल्यांकन 10

भाग-2: सर्वेक्षण आधारित मूल्यांकन.....11

3. मुख्य अवलोकन 14

भाग-1: अभिलेख आधारित मूल्यांकन 14

भाग-2: सर्वेक्षण आधारित मूल्यांकन.....21

4. उत्कृष्ट पुलिस थाने.....31

राज्यवार सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने 39

1. परिचय

लोक संस्थानों का मूल्यांकन सुशासन का एक आधारस्तंभ बन चुका है। कानून-व्यवस्था के क्षेत्र में स्थानीय पुलिस थाने प्रायः राज्य और नागरिकों के बीच प्रथम संपर्क बिंदु होते हैं। ये न केवल स्थानीय विवादों का निपटारा करते हैं और आपात स्थितियों में तुरंत कार्रवाई करते हैं, बल्कि सामुदायिक स्तर पर कानून और व्यवस्था के संरक्षक के रूप में कार्य भी करते हैं। इसीलिए यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि पुलिस थाने सुलभ हों, इनमें पर्याप्त स्टाफ हो और आवश्यक उपकरणों से सुसज्जित हों, ताकि नागरिक सुरक्षा और जनजीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाया जा सके। साथ ही, पुलिस थाने उन मूल्यों को अमल में लाते हैं जिनकी अपेक्षा नागरिक शासन व्यवस्था से करते हैं जैसे कि पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही। जब ये थाने प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं, तो केवल विवादों का समाधान ही नहीं करते, बल्कि समाज में विश्वास और भरोसे का वातावरण बनाते हैं।

विश्वभर में कानून-प्रवर्तन एजेंसियों ने पुलिसिंग की पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रदर्शन मानक और बेंचमार्किंग प्रणाली अपनाई है। इन तंत्रों का उद्देश्य केवल घटनाओं पर त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया करना ही नहीं, बल्कि समुदायों के साथ सहभागिता, अपराध की रोकथाम और कमजोर वर्गों की सुरक्षा जैसे पहलुओं का मूल्यांकन करना भी है। भारत में, गृह मंत्रालय (MHA) ने सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों की पहचान करने और उन्हें पुरस्कृत करने के लिए वार्षिक रैंकिंग प्रणाली शुरू की है। यह पहल स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करती है और निरंतर सुधार हेतु एक संरचित ढांचा प्रदान करती है। दूसरों को प्रेरित करने के लिए यह रेफरेंस प्वाइंट तैयार करके नवाचार, दक्षता और सेवा-उन्मुख पुलिसिंग को बढ़ावा देती है। यह केवल प्रचलनात्मक दक्षता को ही रेखांकित नहीं करता है बल्कि यह भी दर्शाता है कि एक सुसंगठित पुलिस थाना अपने समुदाय पर कितना व्यापक सामाजिक प्रभाव डाल सकता है।

इस रैंकिंग अभ्यास की देखरेख गृह मंत्रालय के पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग द्वारा की जाती है। यह प्रक्रिया प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से पुलिस थानों की शॉर्टलिस्टिंग से शुरू होती है, जिसके बाद वस्तुनिष्ठ आंकड़ों और नागरिकों से प्राप्त प्रत्यक्ष फीडबैक के आधार पर विस्तृत मूल्यांकन किया जाता है। इस जानकारी के संग्रहण और सत्यापन हेतु स्वतंत्र एजेंसियों को नियुक्त किया जाता है, जिससे निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। उत्कृष्ट प्रदर्शन की पहचान और कमियों को उजागर करने के माध्यम से यह वार्षिक रैंकिंग, एक ओर जहां पुरस्कार का कार्य करती है, वहीं दूसरी ओर भविष्य में पुलिसिंग मानकों को सुधारने का रोडमैप भी प्रदान करती है।

वर्ष 2025 के आकलन हेतु गृह मंत्रालय ने ट्रांसरुरल कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड (TRANSRURAL) को मूल्यांकन का कार्य सौंपा। (ट्रांसरूरल) TRANSRURAL के कार्य में सर्वेक्षण रूपरेखा तैयार करना, आंकड़ों का संग्रहण और विश्लेषण करना तथा अंतिम रिपोर्ट तैयार करना शामिल है। साझेदारी के माध्यम से मंत्रालय अपने मानकों को और परिष्कृत करना चाहता है तथा यह सुनिश्चित करना चाहता है कि स्थानीय पुलिस थाने अपनी सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर नवाचार और सुधार कर सकें।

2. चयन एवं मूल्यांकन की प्रक्रिया

चयन की प्रक्रिया

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) द्वारा प्रकाशित पुलिस संगठन संबंधी आँकड़े 2024 (डाटा ऑन पुलिस ऑरगेनाइज़ेशन 2024) के अनुसार 1 जनवरी 2024 तक भारत में कुल 18,284 स्वीकृत पुलिस थाने हैं। इसमें ग्रामीण, शहरी और विशेष प्रयोजन के थाने शामिल हैं। विशेष प्रयोजन वाले थानों में महिला पुलिस थाने, साइबर क्राइम सेल और कमजोर वर्गों के विरुद्ध अपराधों को देखने वाले थाने शामिल हैं। इनमें से 9,127 थाने ग्रामीण क्षेत्रों, 5,492 शहरी क्षेत्रों तथा 3,665 विशेष प्रयोजन की श्रेणी में आते हैं।

मूल्यांकन रूपरेखा में पुलिस थानो के इस पूरे नेटवर्क को शामिल किया गया है। विशेष प्रयोजन वाले थानों का आकलन भी उन्हीं मापदंडों पर किया गया जिनका उपयोग सामान्य थानों के लिए किया गया है। इससे न केवल मानक निर्धारण में एकरूपता और निष्पक्षता बनी रहती है बल्कि यह भी सुनिश्चित होता है कि देश के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में पुलिसिंग की विविध जिम्मेदारियों और प्राथमिकताओं को समुचित रूप से ध्यान में रखा जाए।

देशभर में सर्वश्रेष्ठ पुलिस थानों की पहचान करने के उद्देश्य से शॉर्टलिस्टिंग प्रक्रिया को राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (NCRB) द्वारा संकलित व्यापक अपराध आँकड़ों पर आधारित किया गया है। प्रत्येक पुलिस थाने को उसके संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में निर्धारित वस्तुनिष्ठ मानकों के आधार पर आंका गया। इन मानकों को भारांक निम्नानुसार है:-

चयन का मानदंड	अधिकतम अंक	भारांक	
महिलाओं के खिलाफ अपराध	10	ए-70%	बी -30%
कमजोर वर्ग के खिलाफ अपराध	10	ए -60%	बी -40%
संपत्ति से सम्बंधित अपराध	10	ए-70%	बी -30%
गुमशुदा व्यक्तियों के मामले	10	सी-100%	
अज्ञात पाए गए व्यक्तियों के मामले	10	सी-100%	
अज्ञात शवों के मामले	10	सी-100%	

ए- दर्ज की गई कुल प्राथमिकी में से उन एफआईआर का प्रतिशत जिनका आरोप पत्र दायर किया गया है।

बी- उन प्राथमिकी का प्रतिशत जिसके लिए 60 दिनों के भीतर आरोप पत्र दायर किया गया

सी- कुल मामलों में से उन मामलों का प्रतिशत जिनमे CCTNS पर तस्वीर डाली गई हो

देश के पुलिस थानों के वार्षिक मूल्यांकन में स्थान पाने का अवसर प्रदान करने हेतु नीचे दिए गए मापदंड लागू होते है:

- 750 या 750 से अधिक पुलिस थानो वाले राज्य: 3 थानों का चयन

- 750 से कम पुलिस थानों वाले राज्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली: 2 थानों का चयन
- संघ शासित क्षेत्र : प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र से 1 थाने का चयन

यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि भौगोलिक आकार और थानों की संख्या कुछ भी होने के बावजूद प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र शॉर्टलिस्ट किए जाने वाले पुलिस थानो के पूल में शामिल हो सके जिससे समावेशिता और तुलनीयता बनी रहे।

मूल्यांकन और रैंकिंग के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार चयनित थानों की संख्या निम्नलिखित है:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चयनित थानों की संख्या
आंध्र प्रदेश	3
अरुणाचल प्रदेश	2
असम	2
बिहार	3
छत्तीसगढ़	2
गोवा	2
गुजरात	2
हरियाणा	2
हिमाचल प्रदेश	2
झारखण्ड	2
कर्नाटक	3
केरल	2
मध्य प्रदेश	3
महाराष्ट्र	3
मणिपुर	2
मेघालय	2
मिजोरम	2
नागालैंड	2
उड़ीसा	2
पंजाब	2
राजस्थान	3
सिक्किम	2
तमिलनाडु	3
तेलंगाना	3
त्रिपुरा	2
उत्तर प्रदेश	3
उत्तराखंड	2
पश्चिम बंगाल	2
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1

चंडीगढ़	1
दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	1
दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र)	2
जम्मू और कश्मीर	1
लद्दाख	1
लक्षद्वीप	1
पुदुचेरी	1
कुल	74

मूल्यांकन की प्रक्रिया

थानों के मूल्यांकन की समग्र प्रक्रिया को दो भागों में विभाजित किया गया है।

क. भाग -1 थानों के वार्षिक कार्यकाल के अभिलेख पर आधारित मूल्यांकन शामिल है, जिसका भार कुल अंकों का 80 प्रतिशत है।

ख. भाग -2 में सर्वेक्षण आधारित मूल्यांकन शामिल है, जिसे 20 प्रतिशत भार दिया गया है। भाग-2 के अंकों के 20 प्रतिशत को पुनः दो हिस्सों में विभाजित किया गया है। पहला हिस्सा थाने की आधारभूत संरचना और उस तक लोगों की पहुंच से सम्बंधित है, इसे अधिकतम भार (80 प्रतिशत) दिया गया है जबकि दूसरा हिस्सा नागरिकों, के फीडबैक से सम्बंधित है, और इसे 20 प्रतिशत भार दिया गया है।

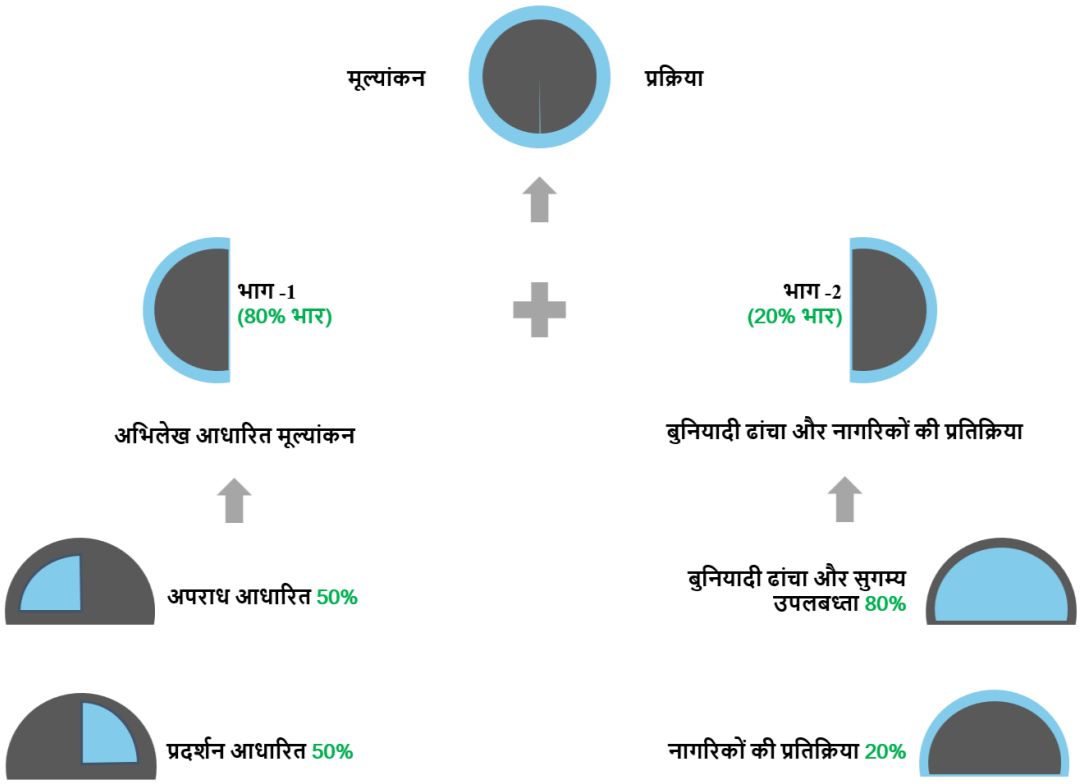

भाग-1: अभिलेख आधारित मूल्यांकन

इस चरण के दौरान चुने गए पुलिस थानों का, बी.पी.आर. एण्ड डी. द्वारा अपनाई गई प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली के आधार पर मूल्यांकन किया गया है। बी.पी.आर. एण्ड डी. की मूल्यांकन प्रणाली में विशिष्ट मानदंडों पर उत्तम प्रदर्शन के लिए सकारात्मक अंकों का प्रावधान है जबकि कुछ मानदंडों पर खरा न उतरने पर नकारात्मक अंकों का प्रावधान है। बीपीआर एंड डी की प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली में मूल्यांकन के लिए 19 प्रमुख शीर्षों को सूचीबद्ध किया गया है। इन 19 शीर्षों को दो समूहों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात अपराध आधारित (1 से 8) तथा प्रदर्शन आधारित (9 से 19)।

अपराध आधारित (शीर्ष 1-8)

- अपराध की रोकथाम और सक्रिय उपाय
- निष्पादन
- मामलों का निपटान
- कानून एवं व्यवस्था
- छोटे अधिनियम जैस आरपीजीओ, उत्पाद शुल्क, एनडीपीएस और शस्त्र अधिनियम
- केस अधिकारी योजना के तहत मामले
- एसीबी द्वारा पकड़े गए अधिकारी
- निलंबन

प्रदर्शन आधारित (शीर्ष 9-19)

- महिलाओं से जुड़े अपराध के खिलाफ कार्रवाई
- पुराने मामलों का निपटारा
- पुलिस अधिकारियों का व्यवहार
- कमजोर वर्ग से जुड़े अपराध के खिलाफ कार्रवाई
- सत्यापन
- सड़क सुरक्षा
- दोषसिद्धि
- मालखाना
- लम्बित मामलों का स्तर
- सामुदायिक बैठक
- जाली प्रविष्टि

शीर्ष 1-8 का प्राप्तांक (S1): बी.पी.आर. एण्ड डी. के प्रारूप अनुसार प्रत्येक पुलिस थाने के लिए प्रत्येक उप-शीर्ष के अंतर्गत मामलों की संख्या को नामित अंकों से गुणा करके प्राप्त किए गए कुल अंकों की गणना की गई है। प्रत्येक शीर्ष को नीचे दर्शाए गए सीमा अनुसार रैखिक रूप से रूपांतरित किया गया है।

अपराध आधारित शीर्ष	प्राप्तांक की सीमा
छोटे अधिनियम	0 से 20
निवारक कार्रवाई	0 से 20
निष्पादन	0 से 10
पुराने मामलों का निपटान	-10 से 20
केस अधिकारी योजना के तहत मामले	-10 से 20
नियम और कानून	-20 से 0
एसीबी द्वारा ट्रैप	-50 से 0
निलंबन	-10 से 0

शीर्ष 9-19 का प्राप्तांक (S2): मूल्यांकन के इस चरण में भी बी.पी.आर. एण्ड डी. के प्रारूप अनुसार प्रत्येक पुलिस थानों के लिए प्रत्येक उप-शीर्ष (9-19) के अंतर्गत मामलों के आधार पर अंक देकर कुल अंकों की गणना की गई।

भाग-2: सर्वेक्षण आधारित मूल्यांकन

पुलिस स्टेशन के बुनियादी ढांचे, नागरिकों की थाना से जुड़ी सेवा लेने में सहजता और थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निवासी के फीडबैक का आकलन करने के लिए इस चरण में सर्वेक्षण किया गया है।

क) पुलिस थानों का बुनियादी ढांचा और पुलिस कर्मी की सुगम्य उपलबध्ता- इस मापदंड में पुलिस थानों की इमारत, कमरे, सुविधाएं, फर्नीचर और उनके समग्र रखरखाव, पुलिस कर्मियों के अनुशासन और नागरिकों का थाने से जुड़ी सेवा लेने में सहजता शामिल है।

पुलिस थाना एक सार्वजनिक स्थान है, जहां लोग विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के लिए और मुसीबत के समय आते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि पुलिस स्टेशन में बुनियादी ढांचा सभी आगंतुकों के लिए पर्याप्त होना चाहिए और साथ ही पर्याप्त स्वच्छता भी होनी चाहिए। पुलिस स्टेशन भवन वह स्थान भी है जहां पुलिस कर्मियों का काफी समय व्यतीत होता है और इसलिए कर्मियों के लिए लंबे समय तक काम करने के लिए स्वच्छ कार्यालय स्थान, भोजनालय और बैरक की उचित सुविधाएं आवश्यक हैं। एक विस्तृत मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए, निम्नलिखित मानकों पर पुलिस स्टेशनों का मूल्यांकन किया गया:

क) थानों के भवन की स्थिति
ख) कर्मियों का अनुशासन और उनकी उपलबध्ता
ग) काग़ज़ी अभिलेखों का भंडारण
घ) भोजनालय एवं बैरक (विश्रामालय) की सुविधा
ङ) ख़रीदी एवं वित्तीय प्रक्रिया पर थाना प्रभारी की घोषणा

ख) नागरिक प्रतिक्रिया- नागरिक अपनी सुरक्षा और मुद्दों के समाधान को सुनिश्चित करने के लिए एक पारदर्शी, सुलभ और सक्रिय पुलिस सेवा की अपेक्षा करते हैं। पुलिस के कार्य प्रदर्शन और सेवा सुपुर्दगी का मूल्यांकन नागरिकों की जरूरतों और प्राथमिकताओं को समझने के साथ शुरू होता है। नागरिकों की प्रतिपुष्टि के जाकर प्राप्त किए गए प्रचालनात्मक डेटा के संयोजन से पुलिस थानों के समग्र प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया है।

नागरिकों की प्रतिक्रिया को 3 श्रेणियों में बांटा गया है-

पुलिस थाना से वापस लौट रहे लोग (शिकायतकर्ता-10) - शिकायतकर्ताओं की प्रतिक्रिया पुलिस स्टेशन में उनके समग्र अनुभव का मूल्यांकन करने के लिए दर्ज की गई और वे अपने क्षेत्र में पुलिस की सेवाओं से कितने संतुष्ट हैं इस बात की प्रतिपुष्टि ली गयी है।

बाजार में दुकानदार/ व्यवसायी (25) – थाना क्षेत्र में आने वाले बाज़ारों के दुकानदार उस क्षेत्र में पुलिस की सेवा के बारे में जानकारी देने के लिए प्राथमिक स्रोत हैं। बाजार में झगड़े और छीन-झपट जैसी स्थितियों को रोकने में पुलिस किस तरह कार्रवाई करती है इसके सबसे बड़े गवाह बाज़ार के दुकानदार और व्यवसायी ही हैं। दुकानदार इस बात की भी नियमित जानकारी रखते हैं कि बाजार क्षेत्र में पुलिस कितना गश्त लगाती है।

राहगीर (रिहायशी क्षेत्र के राहगीर-25) - बातचीत करते समय पुलिस कर्मियों की भाषा, लहज़ा और व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए थाना क्षेत्र के राहगीरों की प्रतिक्रिया ली गयी। पुलिस द्वारा उनके क्षेत्र में रात में गश्त जैसे उचित सुरक्षा उपाय किए गए हैं या नहीं, इसकी भी प्रतिपुष्टि ली गयी।

उपरोक्त श्रेणियों के अतिरिक्त, इस वर्ष के मूल्यांकन में कुछ नए पहलुओं पर भी नागरिकों से प्रतिक्रिया प्राप्त की गई। इनमें शामिल हैं – पुलिस स्टेशनों में एफआईआर से संबंधित अधिकारों की स्पष्ट जानकारी और दृश्यता, समुदाय जागरूकता एवं जनसंपर्क गतिविधियों की प्रभावशीलता, डिजिटल शिकायत निवारण साधनों का उपयोग, तथा एफआईआर दायर करने की सहजता पर जनता की धारणा। इन बिंदुओं पर विशेष रूप से नागरिकों से राय लेकर यह समझने का प्रयास किया गया कि पुलिस स्टेशन पारदर्शिता और सुलभता से जुड़ी बदलती अपेक्षाओं पर कितनी प्रभावी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।

सर्वेक्षण का क्रियान्वयन

सर्वेक्षण की प्रक्रिया सर्वेक्षकों/मूल्यांकनकर्ताओं के प्रशिक्षण के साथ शुरू हुई। दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से मूल्यांकनकर्ताओं को सर्वेक्षण के लिए प्रशिक्षित किया गया था। कुल मिलाकर, प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान, लगभग 60 मूल्यांकन कर्ताओं को परियोजना की अवधारणा, प्रश्नावली, सर्वेक्षण पद्धति, तकनीकी अनुप्रयोग और अधिकारियों के साथ-साथ आम जनता से संपर्क करने के तौर-तरीकों पर प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के पूरा होने पर, मूल्यांकनकर्ताओं को बिना किसी विलंब के सर्वेक्षण के लिए भेजा गया।

मूल्यांकन में प्राप्तांक की गणना

'अपराध आधारित' शीर्षों के प्राप्तांक के निर्धारण के मामले में, रैखिक परिवर्तन की तकनीक अपनाई गई है। 'अपराध आधारित' शीर्षों के प्राप्तांक को S_1 और 'प्रदर्शन आधारित' शीर्षों के स्कोर को S_2 से चिह्नित किया गया। S_1 और S_2 के योग को P_1 (भाग-1 का कुल प्राप्तांक) से चिह्नित किया गया है। भाग-2 के मूल्यांकन में भी रैखिक परिवर्तन की तकनीक अपनाई गई। भाग-2 के रैखिक रूप से रूपांतरित प्राप्तांक को P_2 कहा गया। P_1 को 80 प्रतिशत और P_2 को 20 प्रतिशत भार देकर संपूर्ण प्राप्तांक की गणना की गई।

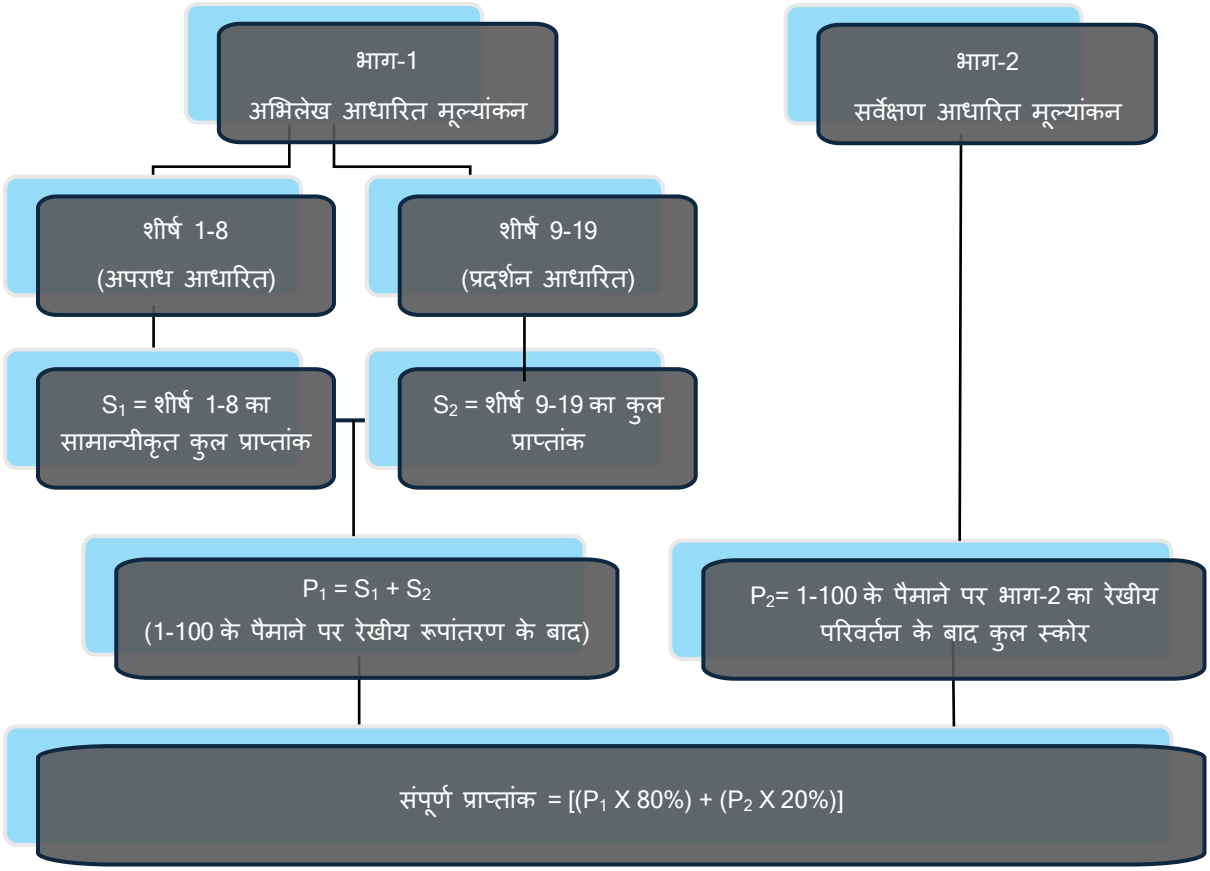
भाग-1
अभिलेख आधारित मूल्यांकन
भाग-2
सर्वेक्षण आधारित मूल्यांकन
शीर्ष 1-8
(अपराध आधारित)
शीर्ष 9-19
(प्रदर्शन आधारित)
S_1 = शीर्ष 1-8 का सामान्यीकृत कुल प्राप्तांक
S_2 = शीर्ष 9-19 का कुल प्राप्तांक
$P_1 = S_1 + S_2$
(1-100 के पैमाने पर रेखीय रूपांतरण के बाद)
P_2= 1-100 के पैमाने पर भाग-2 का रेखीय परिवर्तन के बाद कुल स्कोर
संपूर्ण प्राप्तांक = [(P_1 X 80%) + (P_2 X 20%)]

3. मुख्य अवलोकन

भाग-1: अभिलेख आधारित मूल्यांकन

अभिलेख आधारित मूल्यांकन के लिए एक प्रारूप तैयार किया गया और देश भर के सभी चयनित पुलिस थानों को भेजा गया। संबंधित थानों के प्रभारियों को इस प्रारूप में मांगी गयी सूचनाओं को ट्रांसरूरल द्वारा नियुक्त सर्वेक्षकों को सौंपने का निर्देश दिया गया था। थाना प्रभारियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर अभिलेख आधारित मूल्यांकन किया गया है। अभिलेख आधारित मूल्यांकन के परिणामों को दो प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है- अपराध आधारित मूल्यांकन और प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन।

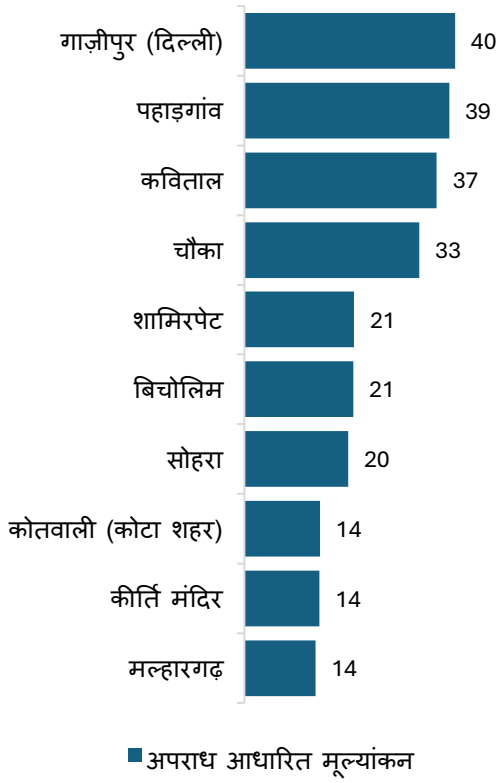

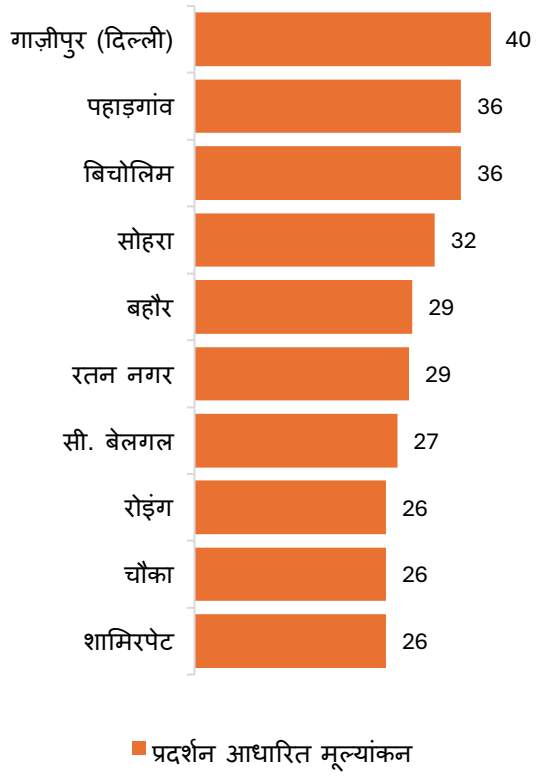

अपराधों के खिलाफ कार्रवाई की तत्परता के मामले में गाज़ीपुर थाना, दिल्ली ने उच्चतम 40 अंक प्राप्त कर चयनित पुलिस थानों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया। इसके बाद पहाड़गांव थाना, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (40 में से 39 प्राप्तांक) एवं कविताल, थाना कर्नाटक (40 में से 37 प्राप्तांक) का स्थान आता है। प्रदर्शन आधारित प्राप्तांक के मामले में भी, ग़ाज़ीपुर थाना, दिल्ली ने सबसे अधिक 40 प्राप्तांक हासिल किए, इसके बाद पहाड़गांव थाना, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, एवं बिचोलिम थाना, गोवा (दोनों के 40 में से 36 प्राप्तांक) का स्थान रहा।

'अपराध आधारित शीर्षों (S_1)' के प्राप्तांक के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का वर्गीकरण

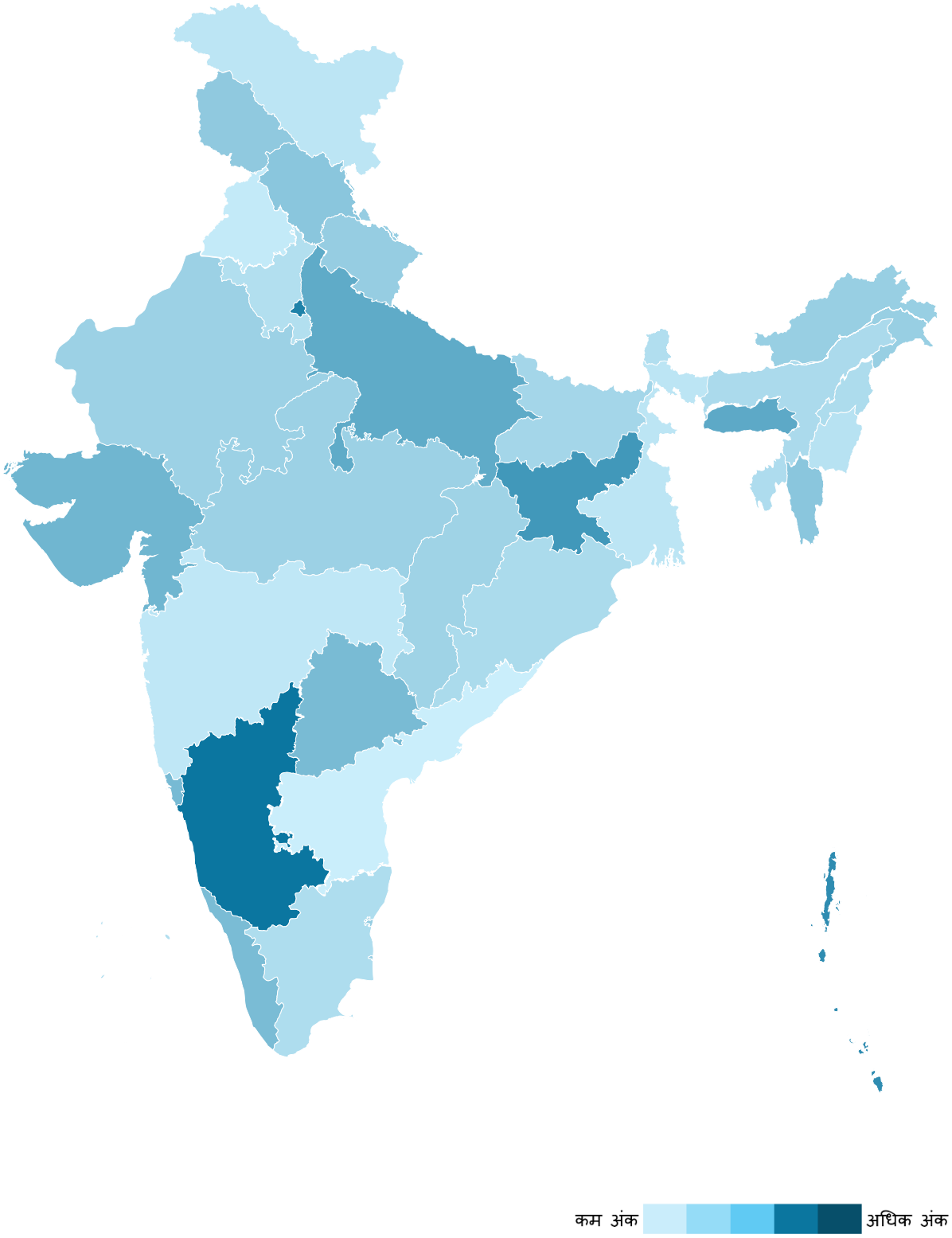

'प्रदर्शन आधारित शीर्षों (S2)' के प्राप्तांक के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का वर्गीकरण

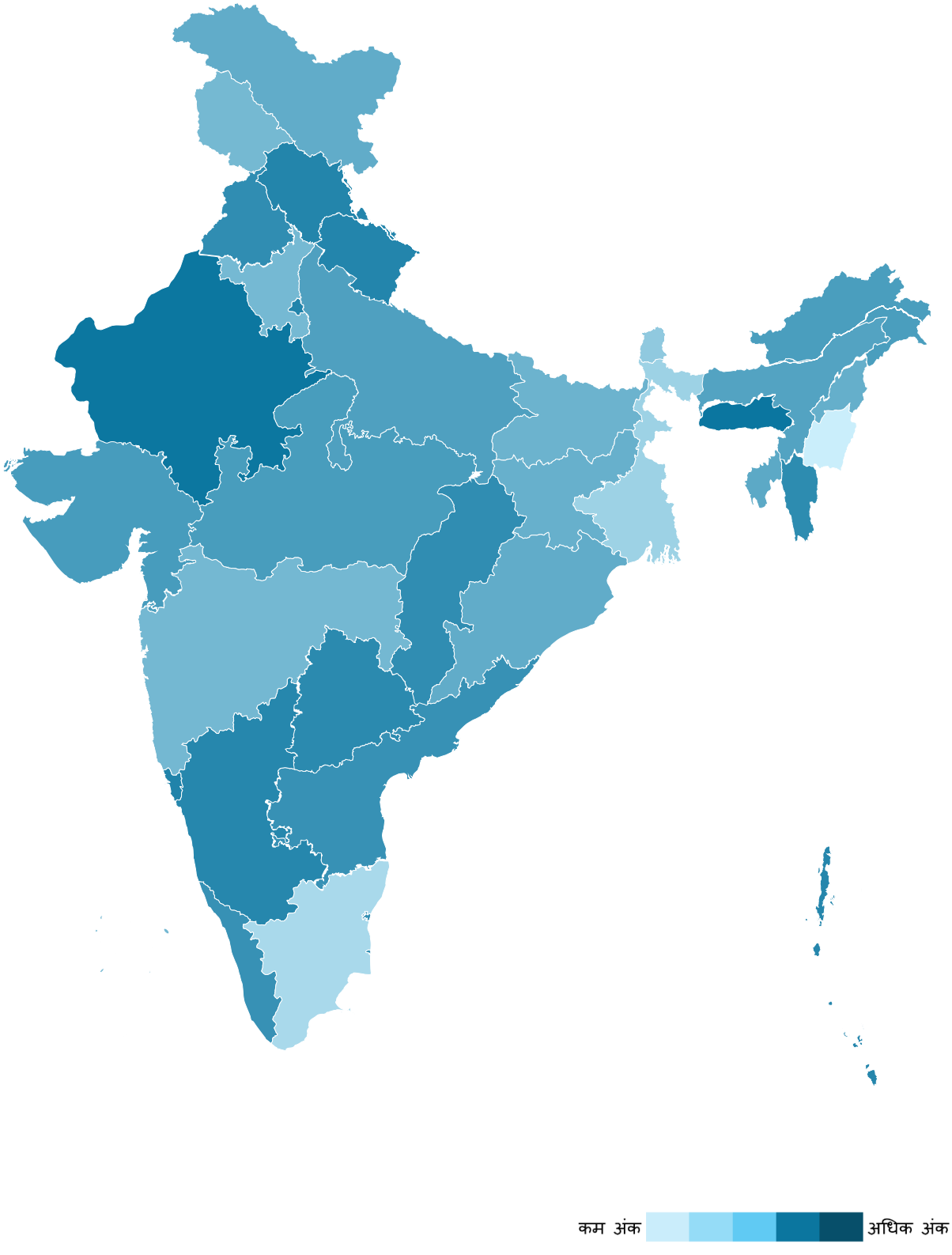

शीर्ष-1: गौण अधिनियम

इस शीर्ष के तहत, पुलिस थानों के प्रदर्शन का आकलन, जुआ, अवैध शराब, हथियार एवं विस्फोटक अधिनियम के उल्लंघन, (और इसी तरह के अन्य अपराध जिनमें 3 वर्ष से अधिक सजा का प्रावधान हो) ड्रग्स का पता लगाने, जब्ती और गिरफ्तारी में पुलिस के सक्रिय भागीदारी के आधार पर सकारात्मक अंक देकर किया गया। यह पाया गया कि वर्ष 2024 के दौरान इस शीर्ष के तहत औसतन प्रति पुलिस स्टेशन लगभग 40 मामले दर्ज किए गए हैं। इस शीर्ष के तहत श्रेष्ठ दस पुलिस स्टेशनों द्वारा प्राप्त सापेक्ष स्थिति को नीचे दर्शाया गया है।

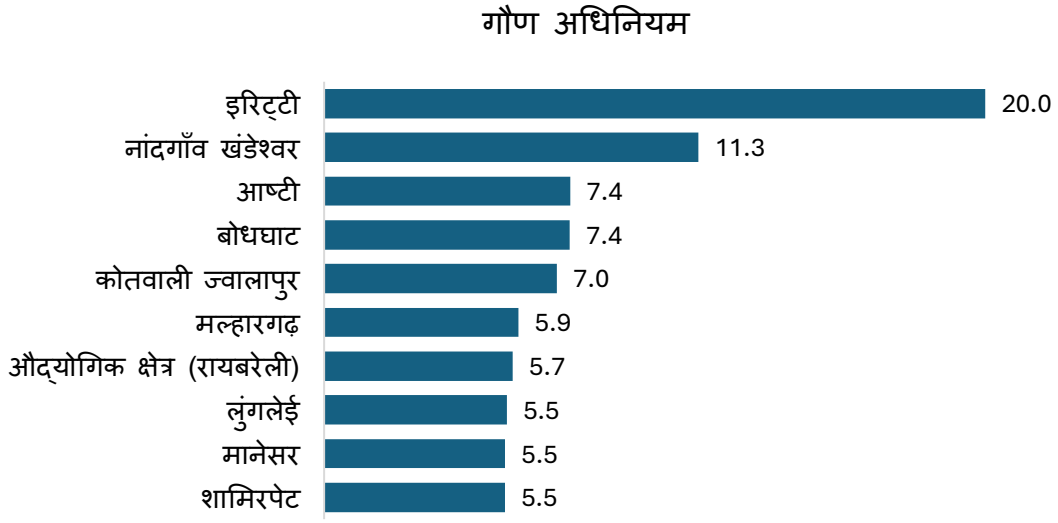

शीर्ष-2: निवारक कार्रवाइयां

इस शीर्ष के तहत मूल्यांकन ज्यादातर निवारक कार्रवाइयों से संबंधित है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 110, 122 और 151 के तहत आदेशों के निष्पादन के लिए पुलिस स्टेशनों को अंक प्रदान किए गए हैं। साथ ही, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, असामाजिक गतिविधियों की रोकथाम, गुंडा अधिनियम, मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत की गई निवारक कार्रवाई के लिए सकारात्मक अंक दिए गए हैं। इस शीर्ष में औसतन प्रति थाने में लगभग 425 मामले पाए गए।

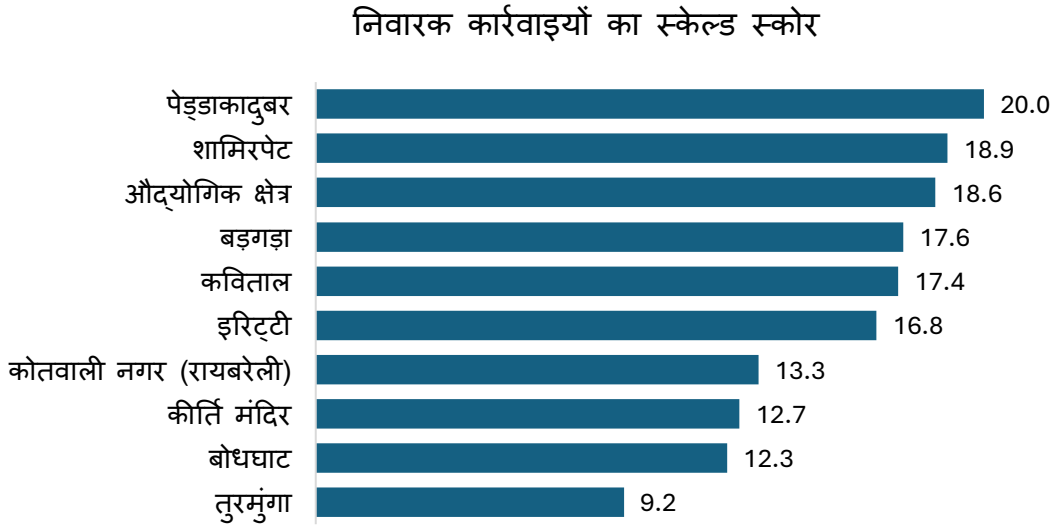

शीर्ष-3: वारंटों का निष्पादन

इस शीर्ष के तहत विभिन्न प्रकार के वारंटों जैसे कि स्टैंडिंग वारंट, गिरफ्तारी वारंट, घोषित अपराधी का वारंट इत्यादि के निष्पादन के आधार पर अंक दिए गए हैं। इनमें से प्रत्येक मामले में, यदि गिरफ्तार व्यक्ति किसी अन्य पुलिस स्टेशन में वांछित था, तो उसके लिए अतिरिक्त अंक दिए गए हैं। इस शीर्ष के तहत निष्पादित आदेशों की प्रति पुलिस थाना औसत संख्या लगभग 257 पायी गई है।

वारंटों का निष्पादन का स्केल्ड स्कोर

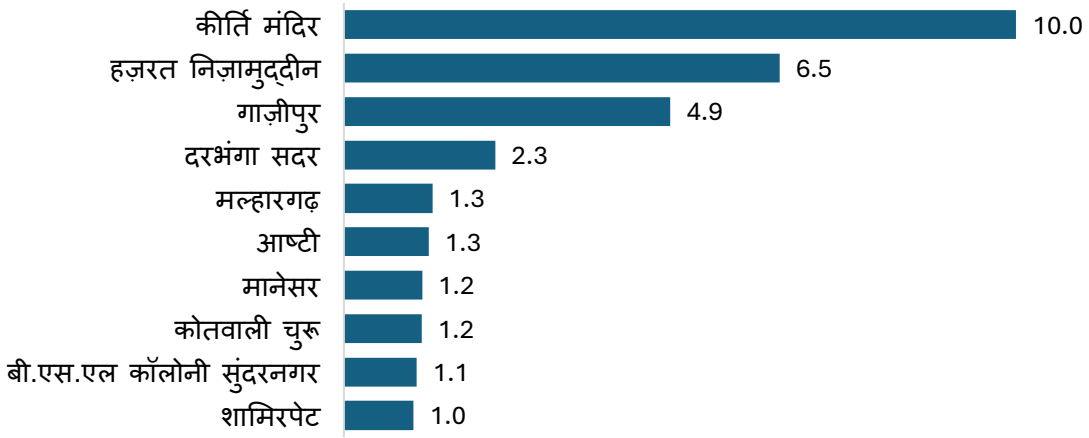

शीर्ष-4: पुराने मामलों का निपटान

इस शीर्ष के अंतर्गत, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173(8) और धारा 299 के तहत प्रत्येक मामले को निपटाने के लिए सकारात्मक अंक दिए गए हैं। हालांकि, इसी शीर्ष के तहत किसी भी नए मामले के जुड़ने/किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप पत्र दायर होने से थानों को नकारात्मक अंक देने का भी प्रावधान भी है। यह देखा गया कि प्रति थाने में औसतन 25 पुराने मामलों का निपटान किया गया और साथ ही साथ 7 नये मामले जोड़े हैं। इस शीर्ष में आरोपपत्रित व्यक्तियों की गिरफ्तारी के मामले में प्रति थाने में लगभग 5 व्यक्ति और व्यक्तियों के विरुद्ध दायर आरोप पत्र के नए मामलों की संख्या लगभग 12 है।

पुराने मामलों का निपटान का स्केल्ड स्कोर

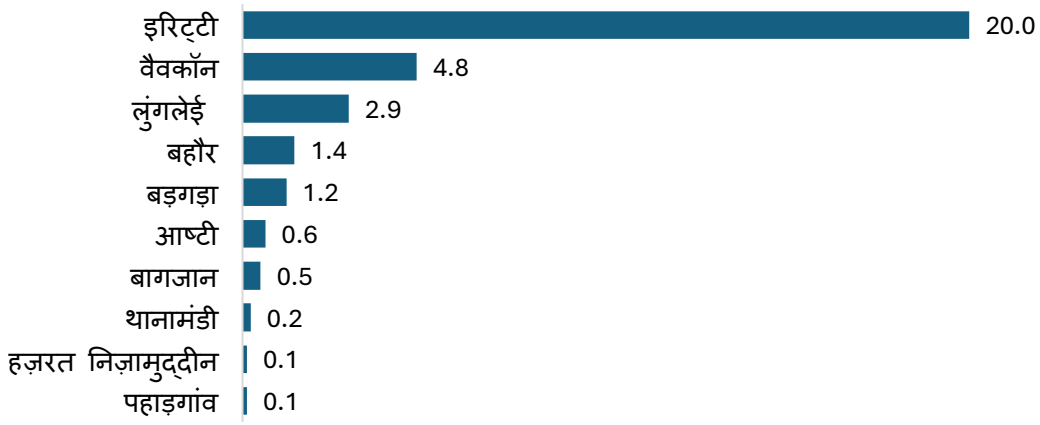

शीर्ष-5: केस अधिकारी योजनान्तर्गत मामलों में दोष-सिद्धि

दोष-सिद्धि के वर्षों के आधार पर दोष सिद्धी के मामलों के लिए पुलिस थानों को अंक प्रदान किए गए। मामलों की संगीनता को महत्व देने के लिए सजा के वर्ष जितने अधिक थे, उतने ही अधिक अंक प्रदान किये गए। जहां दोष सिद्धी के लिए सकारात्मक अंक दिए गए हैं वहीं दोष-सिद्धि न साबित होने की स्थिति वाले मामले के लिए नकारात्मक अंक का प्रावधान किया गया। दोष-सिद्धि के मामलों की औसत संख्या लगभग 4 एवं ऐसे मामलों में 4 व्यक्ति प्रति थाना पाई गई। निर्दोष अथवा दोषसिद्धि न साबित होने के औसतन लगभग 14 मामले एवं 19 व्यक्ति प्रति थाना पाया गया।

केस अधिकारी योजनान्तर्गत मामलों में दोष-सिद्धि का स्केल्ड स्कोर

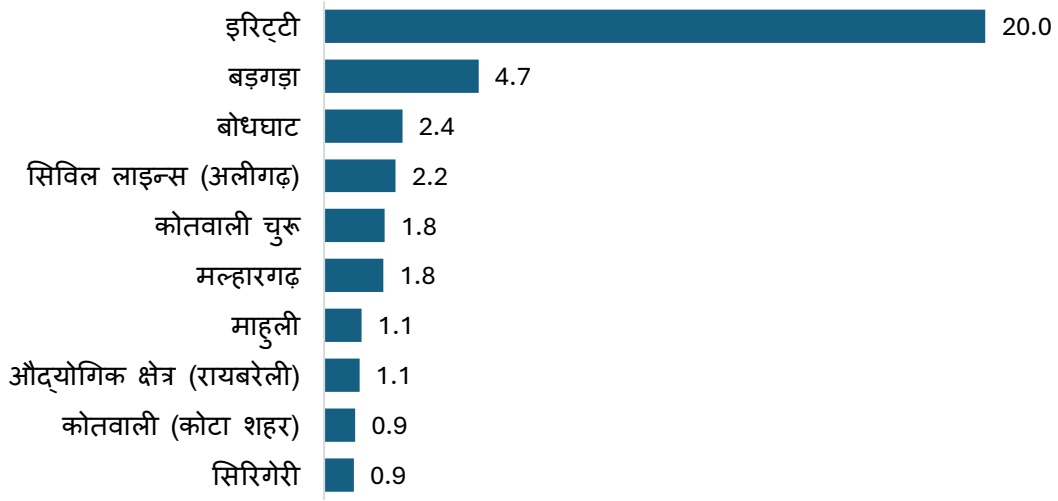

शीर्ष-6: कानून और व्यवस्था की स्थिति

जिन थाना क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थितियों के मामलों के निवारण के लिए उच्च अधिकारियों को हस्तक्षेप करना पड़ा हो, उन थानों ने नकारात्मक अंक प्राप्त किए। यह देखा गया है कि कानून-व्यवस्था की स्थिति केवल 12.2 प्रतिशत थानों में ही उत्पन्न हुई। अधिकांश पुलिस थानों (87.8%) में इस वर्ष के दौरान कानून-व्यवस्था की ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न नहीं हुई।

कानून और व्यवस्था की स्थिति

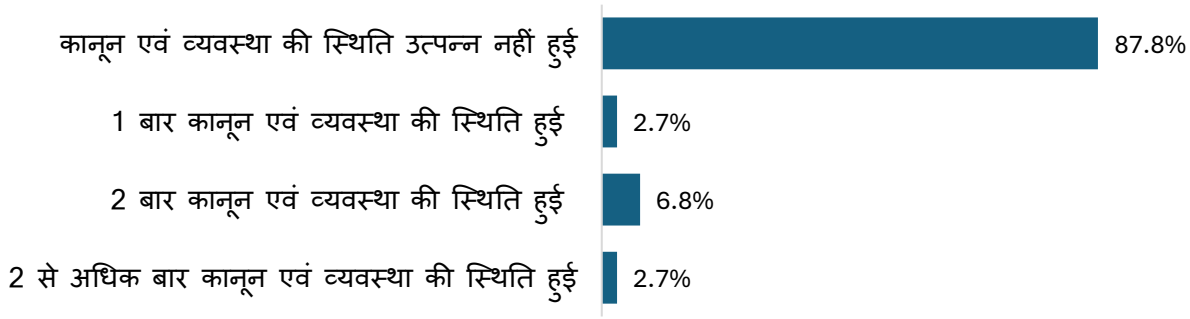

शीर्ष 7 और 8: एसीबी द्वारा पकड़े गए अधिकारी एवं निलंबन

इन शीर्षों के अंतर्गत भी केवल नकारात्मक अंकों का प्रावधान है। ACB द्वारा पकड़े हुए कर्मियों के प्रत्येक मामले और निलंबन के प्रत्येक मामले के लिए, नकारात्मक अंक प्रदान किये गए। ACB द्वारा पकड़े हुए कर्मियों के मामले में किसी भी थाने में किसी मामले की सूचना नहीं मिली। हालांकि निलंबन के मामले में यह पाया गया कि 4 थानों के कुल 7 कर्मियों का निलंबन हुआ है।

निलंबित कर्मियों की संख्या

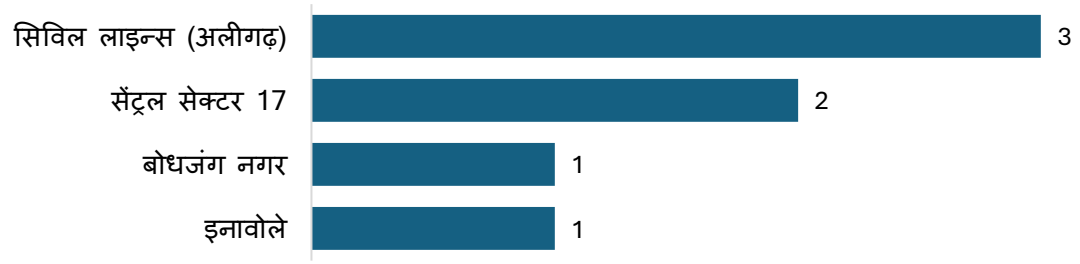

शीर्ष 9-19: प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन

इन शीर्षों के अंतर्गत पुराने प्रकरणों के निस्तारण, बलात्कार एवं कमजोर वर्ग के लोगों से जुड़े अपराध के मामलों में त्वरित आरोप-पत्र, चोरी के माल की वसूली, सम्पत्ति अपराधों का पता लगाने, शीघ्र सत्यापन (पासपोर्ट, शस्त्र, सेवा आदि के लिए), दुर्घटनाओं की दर (पिछले वर्ष की तुलना में), मालखाना संबंधित मामले के निपटान की दर, लंबित मामलों की दर, सामुदायिक संपर्क समूह (सीएलजी) की बैठक और झूठी प्रविष्टियां के आधार पर सकारात्मक एवं नकारात्मक अंकों का प्रावधान है। इन मानदंडों पर बेहतर अंक प्राप्त करने वाले शीर्ष पुलिस स्टेशनों को उनके प्रदर्शन के सापेक्ष क्रम में नीचे दर्शाया गया है।

प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन (S2)

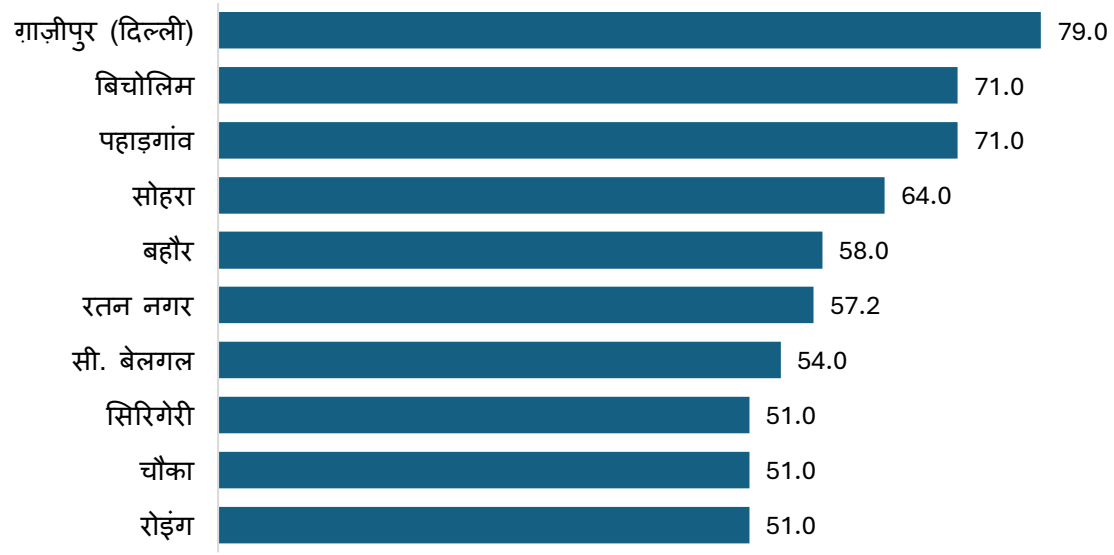

भाग-2: सर्वेक्षण आधारित मूल्यांकन

पुलिस स्टेशन का बुनियादी ढांचा और नागरिकों में सहजता

पुलिस थाने के बुनियादी ढांचे और नागरिकों को पुलिस से सेवा लेने में सहजता का आकलन करते समय, आगंतुकों के साथ-साथ पुलिस स्टेशन के कर्मियों के लिए बुनियादी सुविधाओं पर भी ध्यान दिया गया। विश्रामालय (बैरक), पुलिस स्टेशन परिसर और भवन, हवालात, भोजनालय, अभिलेख और फाइल भंडारण, थाने की सुरक्षा, शौचालय और सफाई कर्मचारी आदि जैसे बुनियादी ढांचे के लिए मूल्यांकन किया गया है।

बुनियादी ढांचा और नागरिकों में सहजता

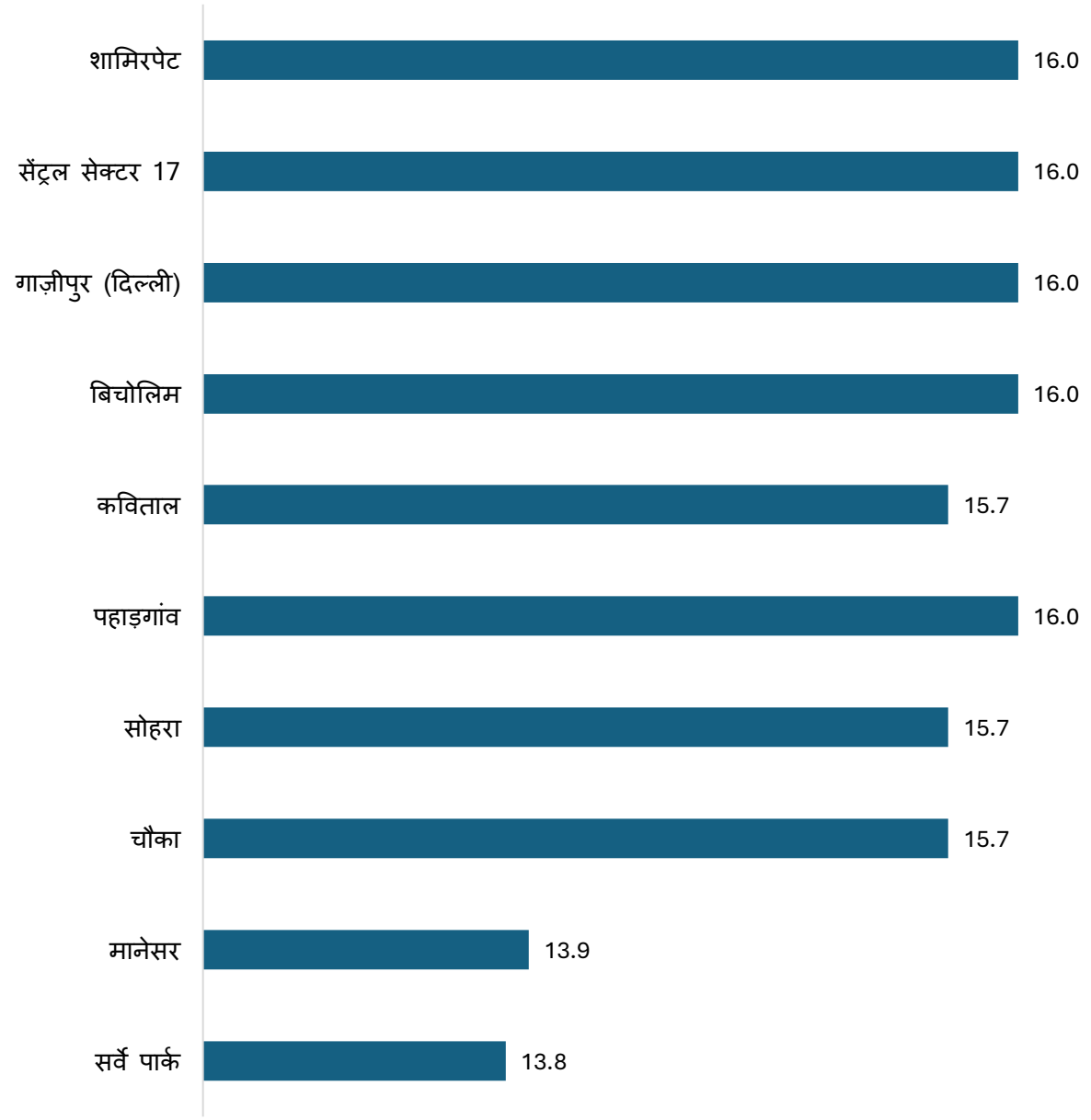

थाना – गाज़ीपुर
पूर्वी जिला – दिल्ली
POLICE STATION - GAZIPUR
EAST DISTRICT, DELHI
PH. : - 011-22610094, 011-22610068
पुलिस
दिल्ली
थाना गाज़ीपुर
दिल्ली पुलिस थाना गाज़ीपुर में आपका स्वागत है
WELCOME TO DELHI POLICE STATION
PARKING

EMERGENCY SERVICES HELPLINE NUMBERS
EMERGENCY NUMBERS
POLICE HELPLINE 112
CYBER OFFENCE HELPLINE 1930
SENIOR CITIZEN HELPLINE 1090
WOMEN HELPLINE 1091
CHILD HELPLINE 1098
DRUG HELPLINE 1908
FIRE 101
AMBULANCE 108
NATIONAL HIGHWAY HELPLINE 1033

No Smoking Area

थाना की सेवा लेने में नागरिकों की सहजता

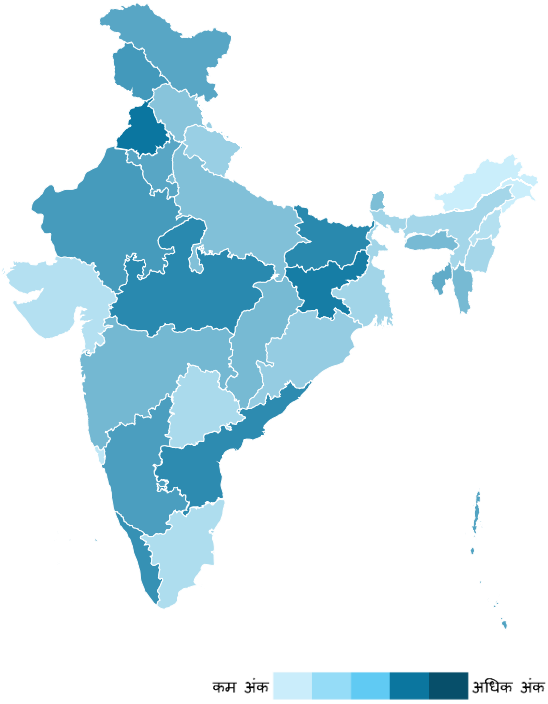

पुलिस कर्मियों के लिए विश्रामालय

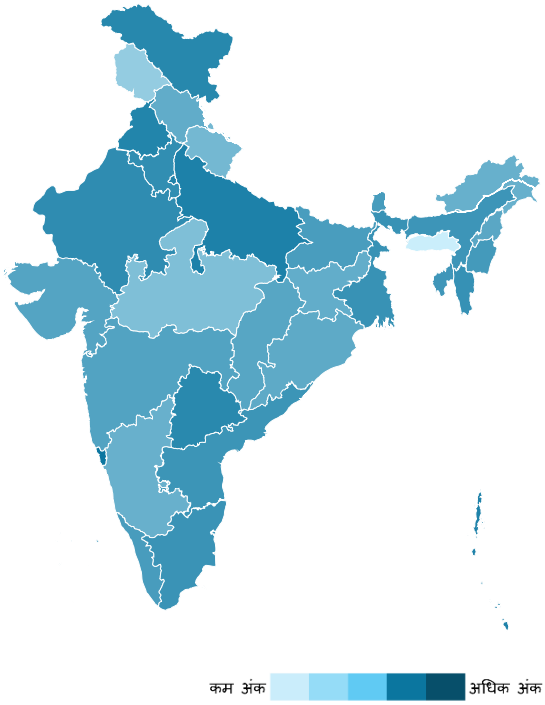

परिसर और इमारत

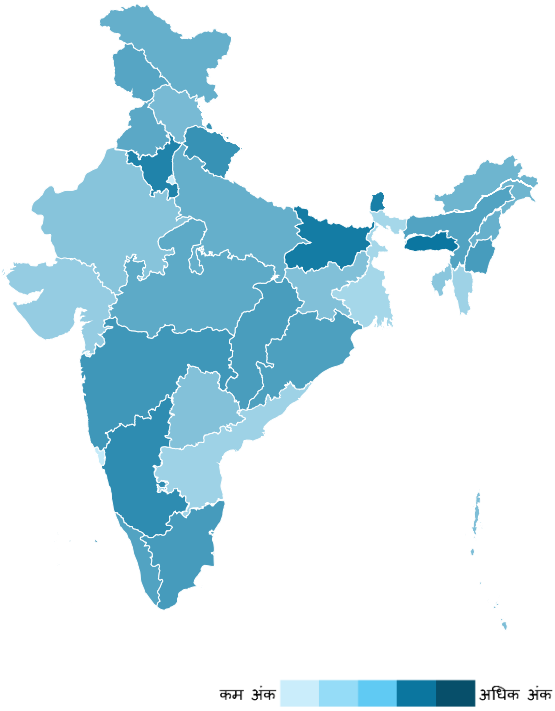

हवालात

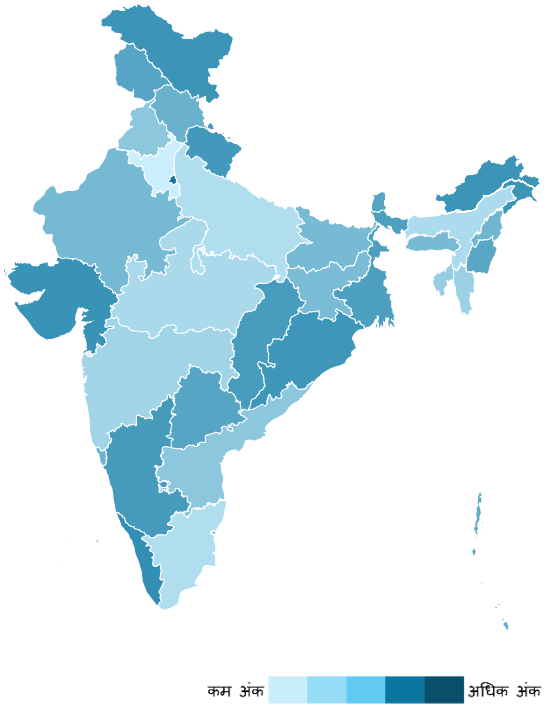

भोजनालय

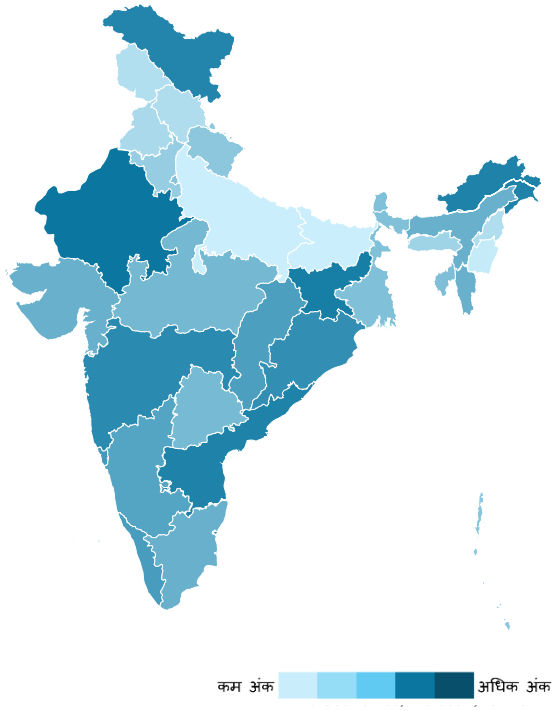

अभिलेखों तथा फाइलों का भण्डारण

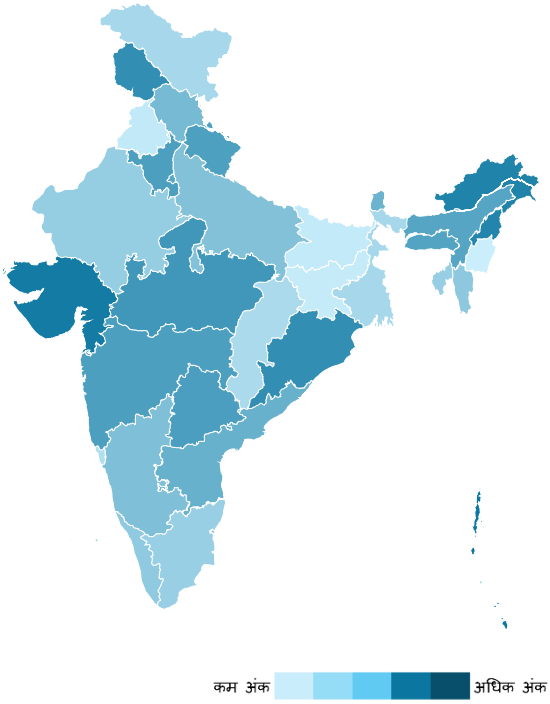

सुरक्षा के इंतज़ाम

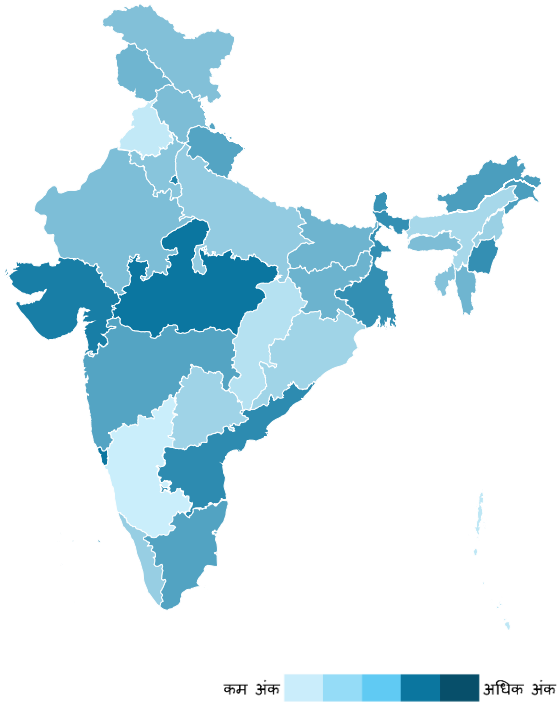

शौचालय तथा साफ़ सफाई की स्थिति

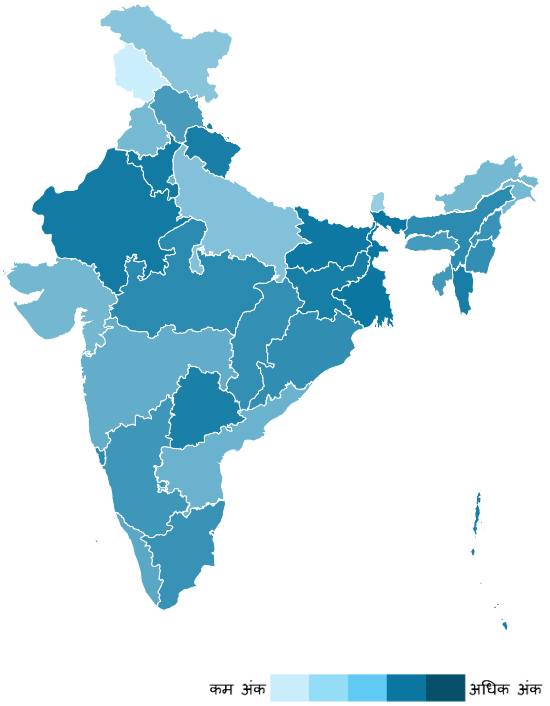

नागरिकों की प्रतिक्रिया

पुलिस स्टेशन से वापस लौट रहे लोग (शिकायतकर्ता)

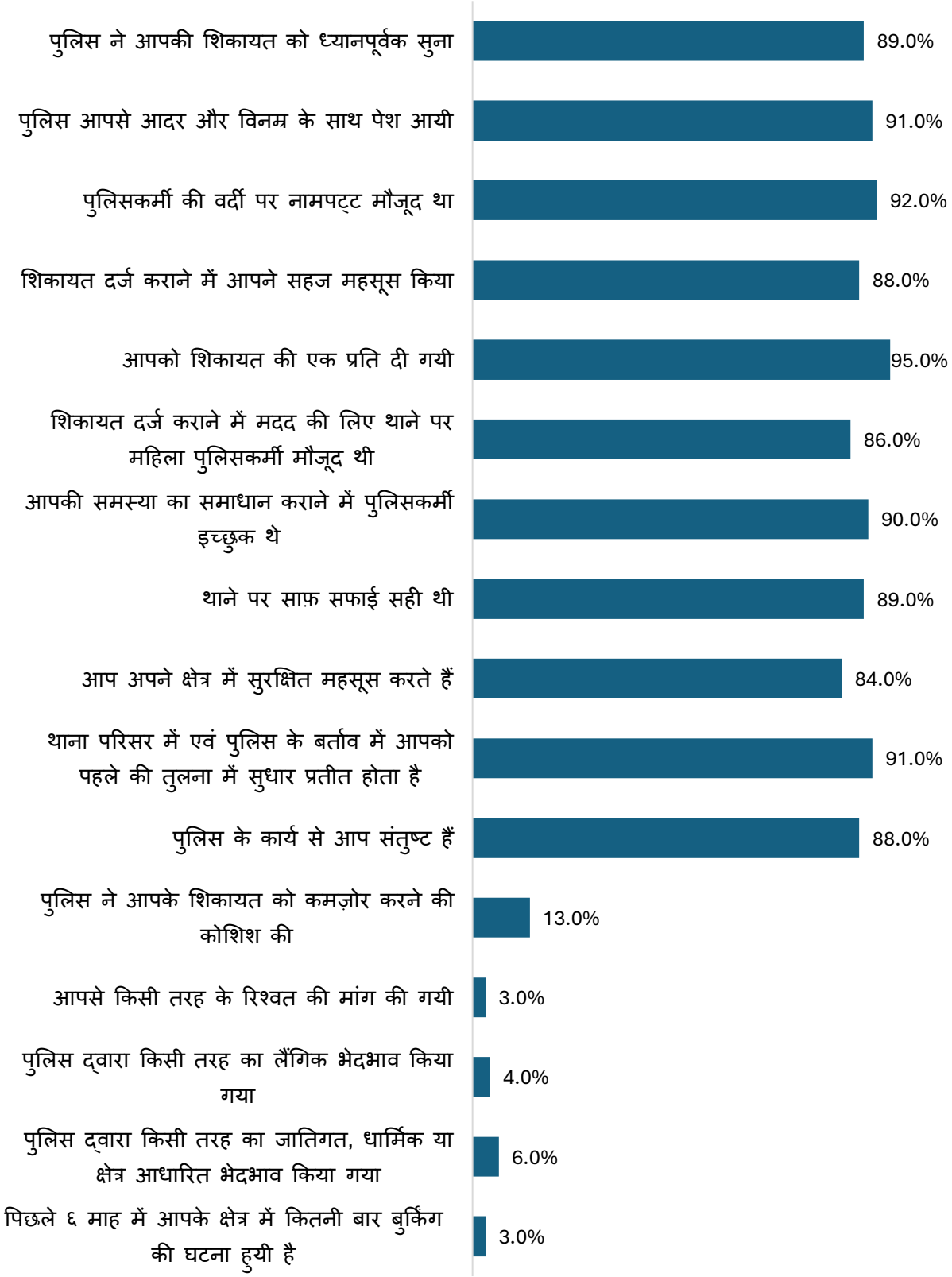

MAY I HEL

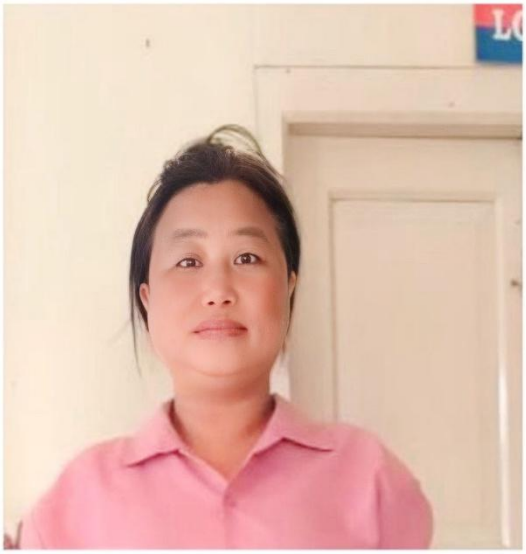

GHT DUTY OFFICER
LALREMRUATI
GHT OUT OFFICER
LALTANPUIA
ADY OFFICER(s)
C/CONSTABLE
MAJOR
K. VANLALSANGA
CONSTABLE
UTY DRIVER

LOCK UP

Kappa

नजदीकी बाजार में दुकानदार/ व्यवसायी

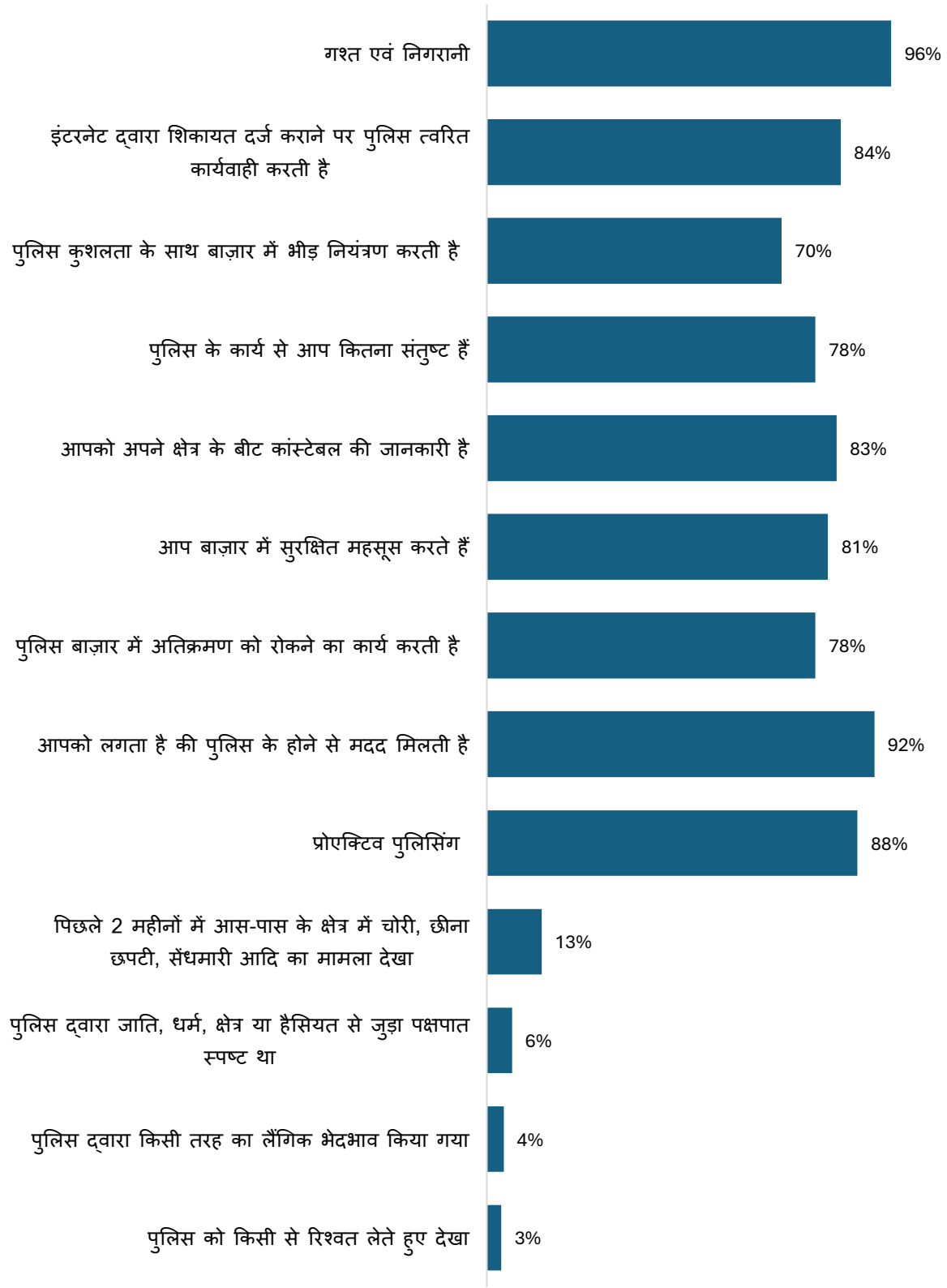

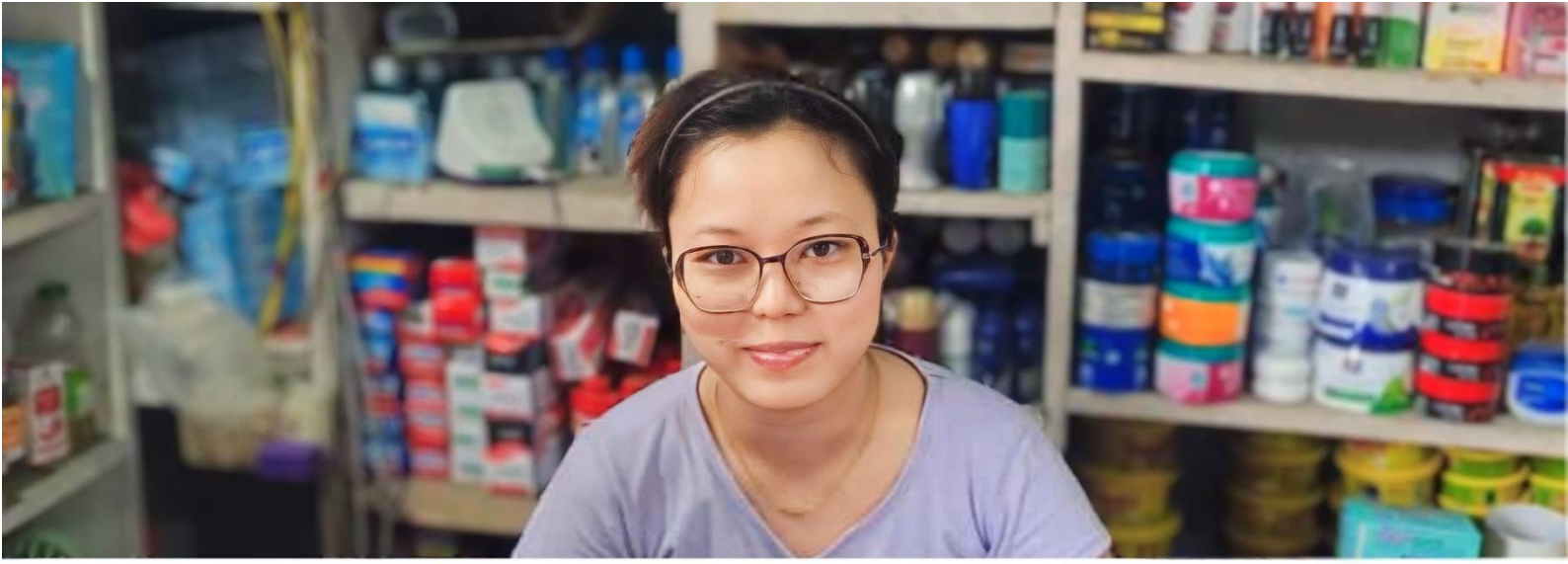

किराना स्टोर

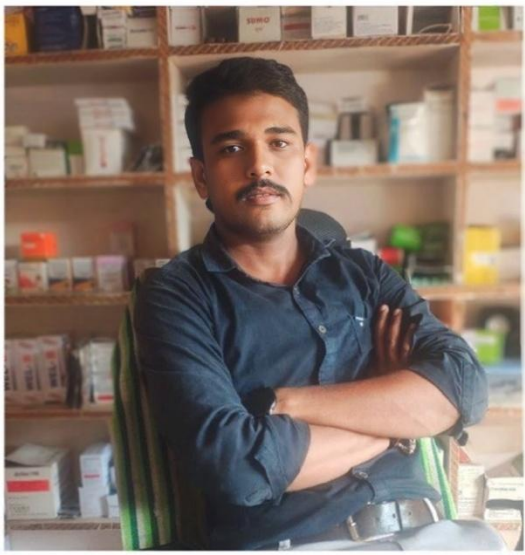

नजदीकी आवासीय क्षेत्र क लोग

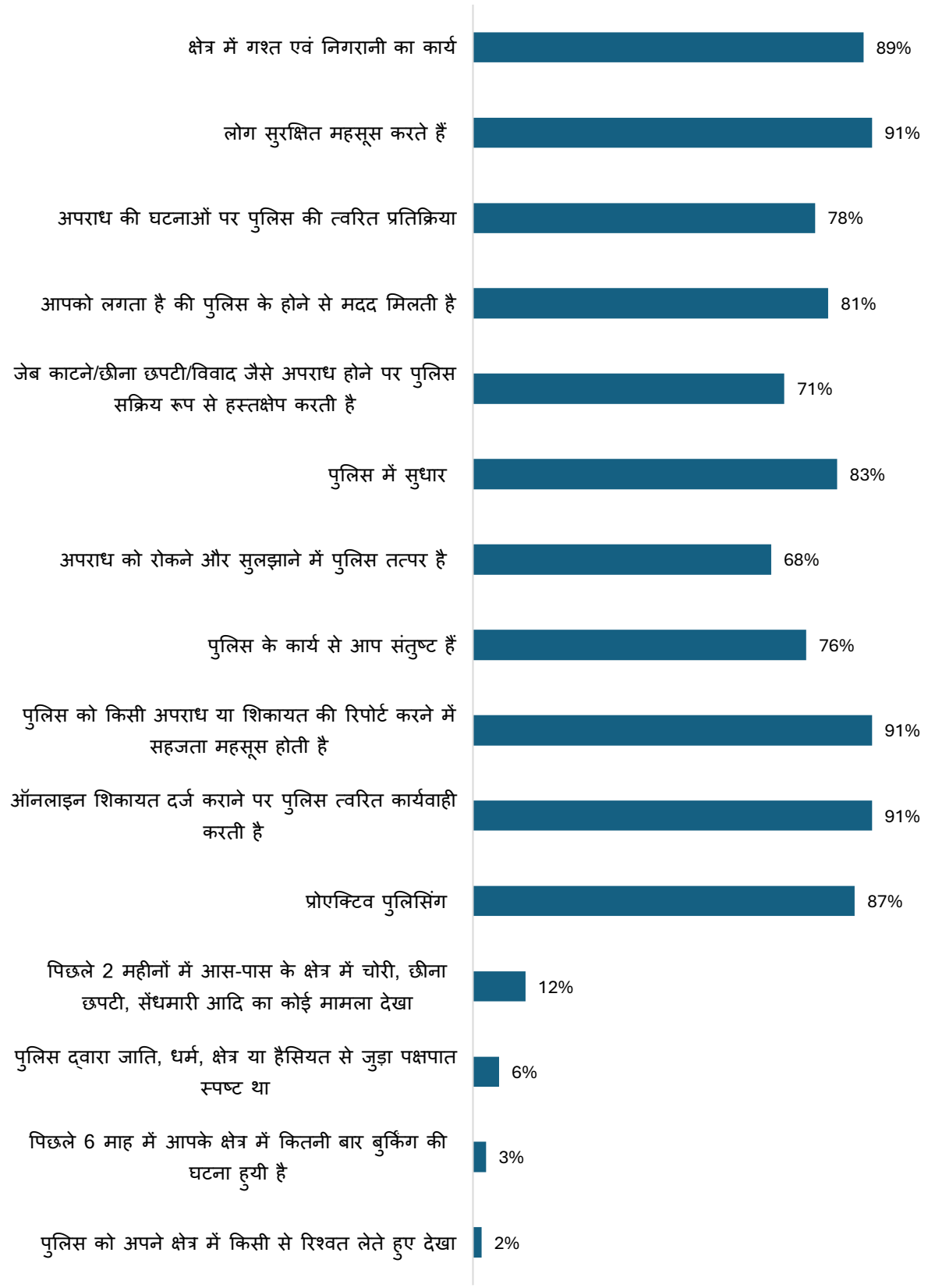

4. उत्कृष्ट पुलिस थाने

#2

पहाड़गांव

दक्षिण अंडमान
अंडमान और
निकोबार द्वीपसमूह

#1

गाज़ीपुर

पूर्वी दिल्ली
दिल्ली

#3

कवीताल

रायचूर
कर्नाटक

4	**चौका**, सरायकेला, झारखंड
5	**बिचोलिम**, उत्तर गोवा, गोवा
6	**सोहरा**, खासी हिल्स पूर्व, मेघालय
7	**शामिरपेट**, साइबराबाद पी सी, तेलंगाना
8	**बहौर**, पुदुचेरी
9	**मल्हारगढ़**, मंदसौर, मध्य प्रदेश
10	**रतन नगर**, चुरू, राजस्थान

ildren's Play Area

#1 गाज़ीपुर, पूर्वी दिल्ली

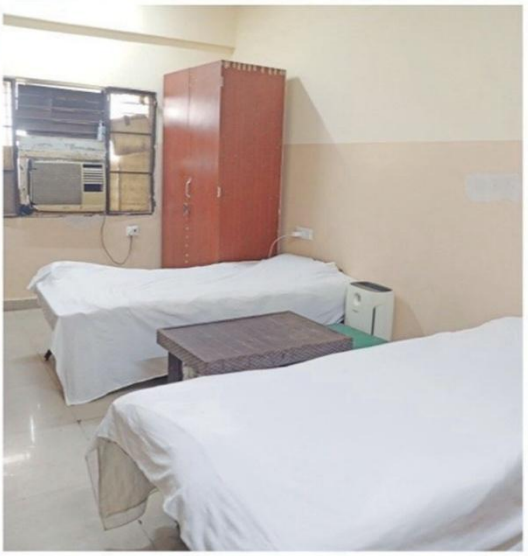

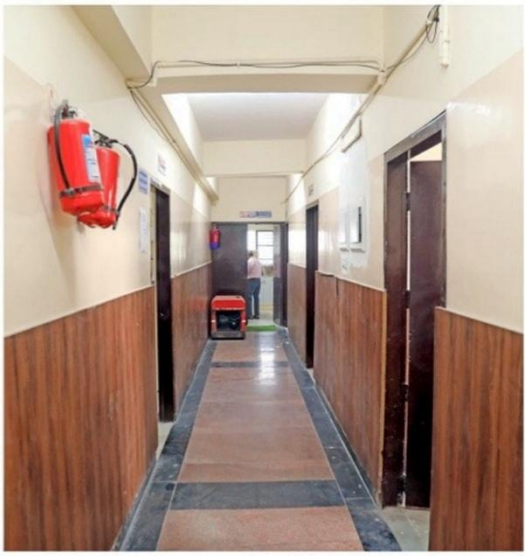

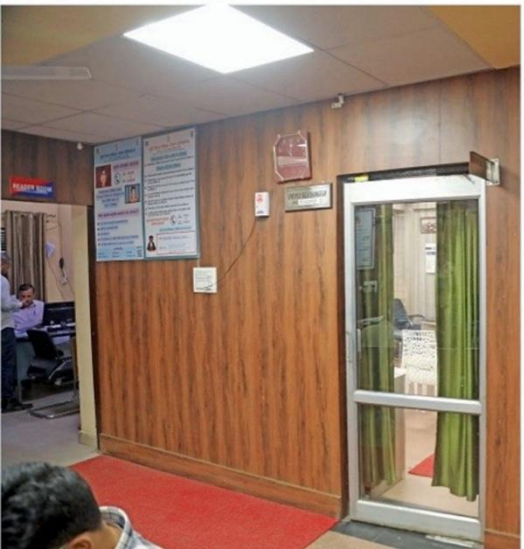

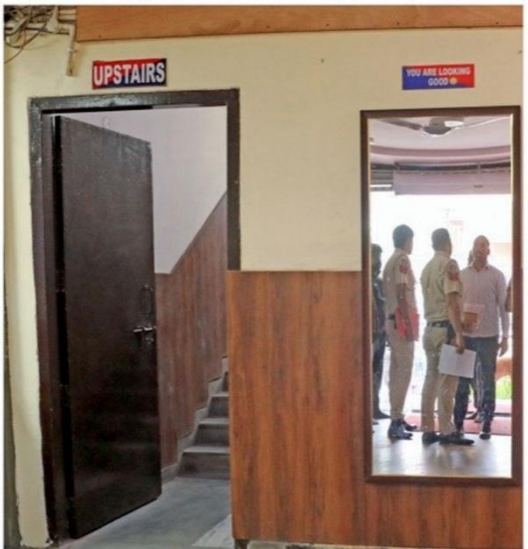

Thanks for Visit
P.S. Ghazipur

CHILD FRIENDLY
ROOM

DRUGS
FREE ZONE

16
1
2

#2 पहाड़गांव, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

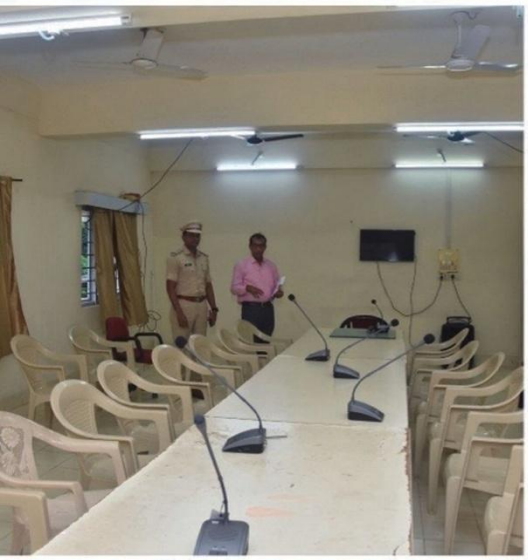

पुलिस थाना पहाड़गांव
दक्षिण अंडमान
POLICE STATION PAHARGAON

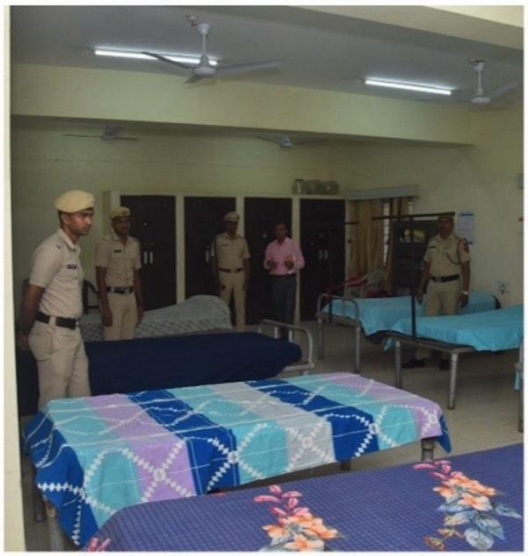

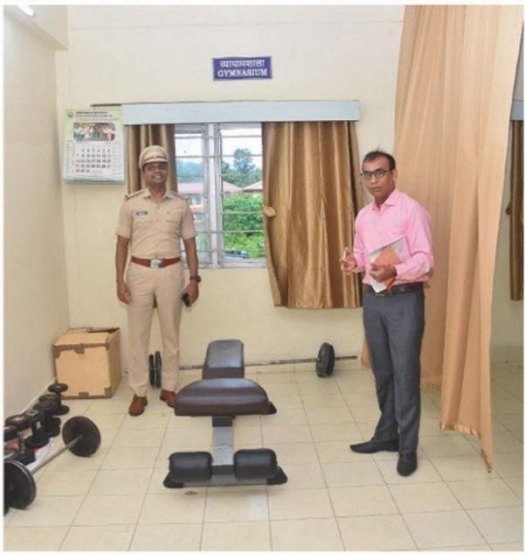
व्यायामशाला
GYMNASIUM

स्वच्छ भारत
मिशन

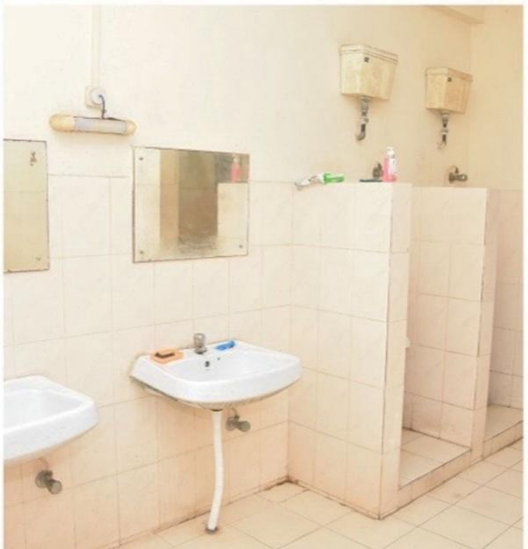

#3 कविताल, कर्नाटक

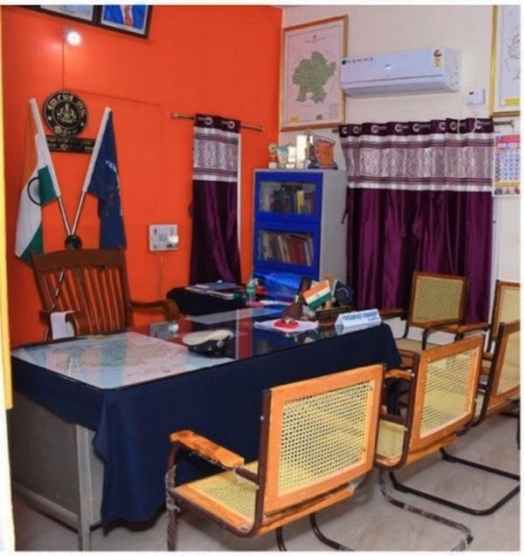

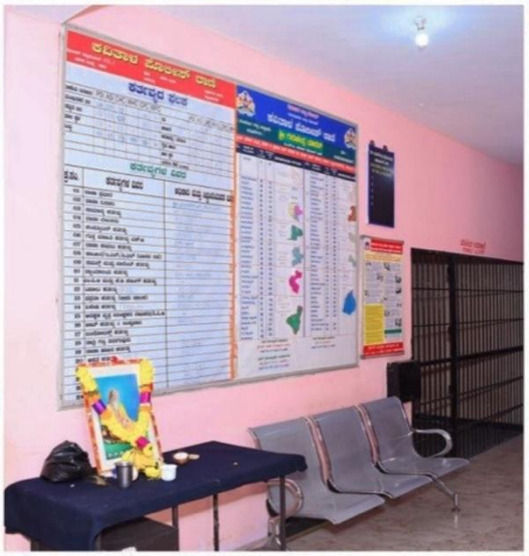

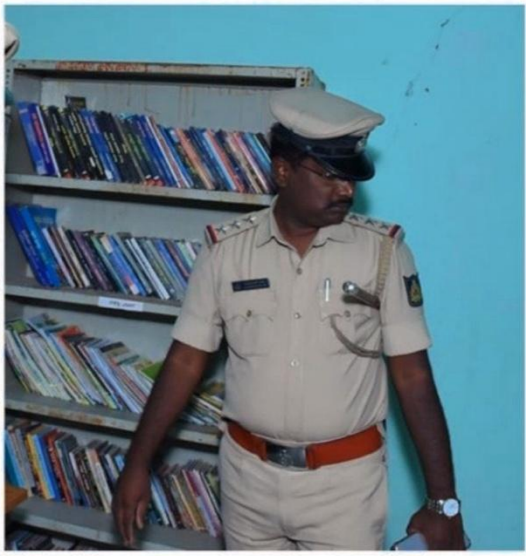

AVITAL POLICE STATION
POLICE

No Smoking Area
Smoking Here is an Offence

EMERGENCY SERVICES HELPLINE NUMBERS
EMERGENCY NUMBERS
POLICE HELPLINE 112
CYBER OFFENCE HELPLINE 1930
SENIOR CITIZEN HELPLINE 1090
WOMEN HELPLINE 1091
CHILD HELPLINE 1098
DRUG HELPLINE 1908
FIRE 101
AMBULANCE 108
NATIONAL HIGHWAY HELPLINE 1033

112
ERSS

POLICE
BARRACK
AND
MESS

राज्यवार सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने

क्रं.	थाना का नाम	जिला	राज्य
1	पहाड़गांव	दक्षिण अंडमान	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
2	पेड्डाकादुबर	कुरनूल	आंध्र प्रदेश
3	रोइंग	निचली दिबांग घाटी	अरुणाचल प्रदेश
4	डेमो	शिवसागर	असम
5	दरभंगा सदर	दरभंगा	बिहार
6	सेंट्रल सेक्टर 17	चंडीगढ़	चंडीगढ़
7	बोधघाट	बस्तर	छत्तीसगढ़
8	कचीगाम	दमन	दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली
9	गाज़ीपुर	पूर्व	दिल्ली
10	बिचोलिम	उत्तर गोवा	गोवा
11	मियनी मरीन	पोरबंदर	गुजरात
12	मुरथल	सोनीपत	हरियाणा
13	अम्ब	ऊना	हिमाचल प्रदेश
14	थानामंडी	राजौरी	जम्मू और कश्मीर
15	चौका	सरायकेला	झारखंड
16	कविताल	रायचूर	कर्नाटक
17	इरिट्टी	कन्नूर	केरल
18	लेह	लेह	लद्दाख
19	अगत्ती	लक्षद्वीप	लक्षद्वीप
20	मल्हारगढ़	मंदसौर	मध्य प्रदेश
21	नांदगाँव खंडेश्वर	अमरावती	महाराष्ट्र
22	लिलोंग	थौबल	मणिपुर
23	सोहरा	खासी हिल्स पूर्व	मेघालय
24	वैवकॉन	आइजोल	मिजोरम
25	मोकोकचुंग-II	मोकोकचुंग	नागालैंड
26	बड़गड़ा	गंजाम	ओडिशा
27	बहौर	पुदुचेरी	पुदुचेरी
28	खूइयाँ सरवर	फाजिल्का	पंजाब
29	रतन नगर	चुरू	राजस्थान
30	रानीपूल	गंगटोक	सिक्किम
31	कुमारत्ची	कुड्डालोर	तमिलनाडु
32	शामिरपेट	साइबराबाद पी सी	तेलंगाना
33	राधापुर	पश्चिम	त्रिपुरा
34	औद्योगिक क्षेत्र	रायबरेली	उत्तर प्रदेश
35	कोतवाली ज्वालापुर	हरिद्वार	उत्तराखंड
36	सर्वे पार्क	कोलकाता पी सी	पश्चिम बंगाल

अनुलग्नक

अनुलग्नक-1: राज्यवार चयनित पुलिस थानों की सूची

क्रं.	थाना का नाम	जिला	राज्य
1	पहाड़गांव	दक्षिण अंडमान	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
2	पेड्डाकादुबर	कुरनूल	आंध्र प्रदेश
3	पोलकी	श्रीकाकुलम	आंध्र प्रदेश
4	सी. बेलगल	कुरनूल	आंध्र प्रदेश
5	रोइंग	निचली दिबांग घाटी	अरुणाचल प्रदेश
6	मियाओ	चांगलांग	अरुणाचल प्रदेश
7	बागजान	तिनसुकिया	असम
8	डेमो	शिवसागर	असम
9	थरथरी	नालन्दा	बिहार
10	अलीनगर	दरभंगा	बिहार
11	सदर	दरभंगा	बिहार
12	सेंट्रल सेक्टर 17	चंडीगढ़	चंडीगढ़
13	बोधघाट	बस्तर	छत्तीसगढ़
14	फ्रेज़रपुर	बस्तर	छत्तीसगढ़
15	कचीगाम	दमन	दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली
16	हज़रत निज़ामुद्दीन	दक्षिण पूर्व	दिल्ली
17	गाज़ीपुर	पूर्व	दिल्ली
18	बिचोलिम	उत्तर गोवा	गोवा
19	क्वेपेम	दक्षिण गोवा	गोवा
20	कीर्ति मंदिर	पोरबंदर	गुजरात
21	मियनी मरीन	पोरबंदर	गुजरात
22	मुरथल	सोनीपत	हरियाणा
23	मानेसर	गुरुग्राम	हरियाणा
24	अम्ब	ऊना	हिमाचल प्रदेश
25	बी.एस.एल कॉलोनी सुंदरनगर	मंडी	हिमाचल प्रदेश
26	थानामंडी	राजौरी	जम्मू और कश्मीर
27	चौका	सरायकेला	झारखंड
28	नगरी	रांची	झारखंड
29	बलगनूर	रायचूर	कर्नाटक
30	सिरिगेरी	बेल्लारी	कर्नाटक
31	कविताल	रायचूर	कर्नाटक
32	इरिट्टी	कन्नूर	केरल
33	तोनदरनाड	वायनाड	केरल
34	लेह	लेह	लद्दाख
35	अगत्ती	लक्षद्वीप	लक्षद्वीप

क्रं.	थाना का नाम	जिला	राज्य
36	मल्हारगढ़	मंदसौर	मध्य प्रदेश
37	करनवास	राजगढ़	मध्य प्रदेश
38	मंडला	मंडला	मध्य प्रदेश
39	माहुली	अमरावती	महाराष्ट्र
40	आष्टी	बीड	महाराष्ट्र
41	नांदगाँव खंडेश्वर	अमरावती	महाराष्ट्र
42	लिलोंग	थौबल	मणिपुर
43	नमबोल	बिष्णुपुर	मणिपुर
44	सिजु	दक्षिण गारो हिल्स	मेघालय
45	सोहरा	खासी हिल्स पूर्व	मेघालय
46	लुंगलेई	लुंगलेई	मिजोरम
47	वैवकॉन	आइजोल	मिजोरम
48	तुएनसांग	तुएनसांग	नागालैंड
49	मोकोकचुंग-II	मोकोकचुंग	नागालैंड
50	बड़गड़ा	गंजाम	ओडिशा
51	तुरमुंगा	केंदुझार	ओडिशा
52	बहौर	पुदुचेरी	पुदुचेरी
53	सिंह भगवंतपुर	रूपनगर	पंजाब
54	खूइयाँ सरवर	फाजिल्का	पंजाब
55	रतन नगर	चुरू	राजस्थान
56	कोतवाली	कोटा शहर	राजस्थान
57	कोतवाली चुरू	चुरू	राजस्थान
58	सदर	गंगटोक	सिक्किम
59	रानीपूल	गंगटोक	सिक्किम
60	कुमारत्ची	कुड्डालोर	तमिलनाडु
61	अवुदैयारकोइल	पुदुकोट्टई	तमिलनाडु
62	कीलातुवल	रामनाथपुरम	तमिलनाडु
63	पलिमेला	जयशंकर भूपालपल्ली	तेलंगाना
64	इनावोले	वारंगल पी सी	तेलंगाना
65	शामिरपेट	साइबराबाद पी सी	तेलंगाना
66	बोधजंग नगर	पश्चिम	त्रिपुरा
67	राधापुर	पश्चिम	त्रिपुरा
68	कोतवाली नगर	रायबरेली	उत्तर प्रदेश
69	औद्योगिक क्षेत्र	रायबरेली	उत्तर प्रदेश
70	सिविल लाइन्स	अलीगढ़	उत्तर प्रदेश
71	कोतवाली ज्वालापुर	हरिद्वार	उत्तराखंड
72	मुक्तेश्वर	नैनीताल	उत्तराखंड
73	कुल्टी	आसनसोल दुर्गापुर पी सी	पश्चिम बंगाल
74	सर्वे पार्क	कोलकाता पी सी	पश्चिम बंगाल

अनुलग्नक -2: पुलिस स्टेशन का बुनियादी ढांचा और नागरिकों में सहजता के लिए प्रश्नावली

अनुभाग	प्रश्न
सुविधाएं	दिव्यांग अनुकूल सुविधाएं- क्या विकलांग व्यक्तियों के लिए कोई रैंप उपलब्ध है?
	पावर बैकअप- क्या पुलिस स्टेशन में पावर बैक अप सिस्टम है?
फिटनेस	क्या पुलिस स्टेशन में मनोरंजक गतिविधियों/खेल के मैदान/जिम के लिए सुविधा है?
पैंट्री	पेयजल सुविधाएं- क्या कर्मचारियों और आगंतुक के लिए पेयजल उपलब्ध है?
	पेयजल सुविधाएं- क्या आर.ओ. / डिस्पेंसर का रखरखाव प्रर्याप्त ढंग से हो रहा है?
	चाय/कॉफी सुविधाएं- क्या चाय/कॉफी की सुविधाएं/पैंट्री सेवाएं उपलब्ध हैं?
सहज उपलब्धता और पुलिसकर्मियों का बर्ताव	क्या सभी पुलिसकर्मी ड्रेस कोड के अनुसार पूरी वर्दी पहने हुए हैं?
	क्या पुलिस वाले जनता की बात ध्यानपूर्वक सुनते हैं?
	क्या पुलिसकर्मी शिकायतकर्ताओं के साथ आदर एवं विनम्र भाव से पेश आ रहे हैं?
बैरक की स्वच्छता और सुविधाएं	क्या थाने में बैरक उपलब्ध हैं?
	क्या बैरक में बिस्तर साफ और अच्छी तरह से लगे हैं?
	क्या कमरे उचित प्रकाश व्यवस्था के साथ उपलब्ध हैं?
	क्या कमरे हवादार हैं?
	क्या दीवारें और छत स्वच्छ, साफ-सुथरे और नमी से मुक्त हैं?
	क्या बैरकों के लिए शौचालय उपलब्ध हैं?
	क्या कमरों में कूलर/एसी जैसी कूलिंग सुविधा उपलब्ध है?
	क्या फर्श साफ और अच्छी स्थिति में है?
	क्या मच्छर भगाने वाले यंत्र कमरे में उपलब्ध हैं और कार्य कर रहें हैं?
	क्या बैरक समग्र रूप से अच्छा दिखता है?
बैरक के शौचालय की सफाई	क्या मूत्रालय साफ हैं यानी दाग, कूड़ा या अन्य कचरा नहीं है?
	क्या दीवारें और छत स्वच्छ, साफ-सुथरे और नमी से मुक्त हैं?
	क्या टॉयलेट सीट क्षेत्र साफ है यानी कोई दाग, कूड़ा या अन्य कचरा नहीं है?
	क्या शौचालयों में दुर्गंध है?
	क्या शौचालय में नल की सुविधा है?
	क्या शौचालय हवादार है?
	क्या शौचालय में पर्याप्त रौशनी है?
	क्या वाशरूम में फ्लश है और वह काम करता है?
	क्या कोई वॉश बेसिन मौजूद है?
	क्या हाथ धोने के लिये साबुन/हैंडवॉश है?
परिसर क्षेत्र की सफाई	क्या परिसर क्षेत्र में कूड़ेदान रखे गए हैं?
	क्या कूड़ेदान ऊपर तक भरा दिख रहा है?
	क्या गीले कचरे और सूखे कचरे के लिए अलग-अलग कूड़ेदान उपलब्ध है?
	क्या प्रवेश द्वार पर आपातकालीन संपर्क नंबर प्रदर्शित है?
	चारदीवारी की सुरक्षा संबंधी स्थिति कैसी है (सुरक्षित/असुरक्षित)?
	क्या थाना परिसर क्षेत्र साफ है?
	क्या थाने का नाम बाहर से दिखता है?
	तरल कूड़ा क्या परिसर क्षेत्र में जमा हुआ पानी बाहर से दिखता है?
	गंध- क्या आसपास कोई दुर्गंध मौजूद है?

	खुली नालियाँ- क्या परिसर क्षेत्र में कोई खुली नालियाँ है?
	आगंतुकों के लिए पार्किंग- थाने में पार्किंग की क्या स्थिति है (उपर्युक्त/अनुपयुक्त)?
पुलिस स्टेशन के अंदर साफ-सफाई	साफ-सफाई- क्या थाने में कूड़ा-करकट, सिगरेट, रैपर, धूल आदि कूड़ा-करकट है?
	स्वच्छता- क्या आप फर्श, खंभों या दीवारों पर पान, गुटखा या पक्षी के बीट देख सकते है?
	कूड़ेदान- क्या थाना भवन के भीतर कूड़ेदान रखे गए है?
	थाने का पूरा माहौल कैसा है?
	गंध-क्या आपको कोई दुर्गंध महसूस हो रही है?
	स्वच्छ भारत अभियान गतिविधियाँ- क्या स्वच्छ भारत का होर्डिंग है जिसमें कूड़ा-करकट रोकने और खुले में पेशाब करने/खुले में शौच करने के विरुद्ध चेतावनी दी गई है?
	दीवारें- क्या इमारत की दीवारें साफ और पेंट की हुई थीं?
पुलिस स्टेशन के अंदर सुविधाएं	क्या पुलिस कर्मचारियों के लिए कुर्सी/डेस्क उपलब्ध है?
	क्या जांच अधिकारियों के लिए अलग कमरे उपलब्ध हैं?
	क्या पुलिस स्टेशन में अतिरिक्त सुविधाएँ जैसे बाल कक्ष, दीवारों पर चित्र, विशेष पहल जैसे सार्वजनिक पुस्तकालय, सार्वजनिक व्यायामशाला आदि मौजूद है?
	क्या थाने में अलग सम्मेलन कक्ष है?
	क्या पुलिस थाने में अलग संदिग्ध/गवाह तहकीकात कक्ष है?
	क्या पुलिस स्टेशन में अलग वायरलेस और संचार कक्ष है?
	क्या कमरे में फाइलों और केस फाइलों के लिए स्टोरेज कैबिनेट है?
	क्या कमरे में पर्याप्त कूलिंग/हीटिंग की सुविधा उपलब्ध है?
	क्या मालखाना/शस्त्रागार उपलब्ध है और तालाबंद है?
	क्या फर्नीचर अच्छी स्थिति में है?
	क्या आम जनता के लिए कोई निर्दिष्ट प्रतीक्षालय उपलब्ध है?
	क्या प्रतीक्षालय में बैठने की व्यवस्था उपलब्ध है?
	महिला हेल्प डेस्क- क्या थाने में अलग से महिला हेल्प डेस्क है?
हवालात	दीवारों की स्थिति- क्या दीवारों पर अच्छी तरह से प्लास्टर और पेंट किया गया है?
	हवालात की जगह: नमी - क्या दीवारें और छत बिना किसी रिसाव या नमी के हैं?
	क्या सीसीटीवी लॉक अप एरिया को कवर करता है?
	फर्श का विवरण-क्या फर्श को अच्छी स्थिति में और प्लास्टर किया हुआ है?
	क्या पुरुष और महिला के लिए अलग लॉकअप उपलब्ध है?
	शौचालय: क्या लॉकअप में अभियुक्तों के लिए शौचालय उपलब्ध हैं?
	शौचालय - क्या शौचालय साफ हैं?
	अवांछित वस्तुएं- क्या लॉकअप का उपयोग बेकार सामग्री जैसे पुराने पंखे, टूटी कुर्सियों आदि के भंडारण के लिए किया जा रहा है?
रिकॉर्ड का रखरखाव	क्या अभिलेख एक बंद कैबिनेट में संग्रहीत हैं?
	क्या पुराने अभिलेख ऑनलाइन मेंटेन किए जाते हैं?
	क्या रजिस्टर मज़बूत बाइंडिंग के साथ हैं?
	क्या रजिस्टरों को लेबल किया गया है?
	शिकायतों को कैसे लिया जाता है? (मौखिक, लिखित या दोनों तरह से)
	क्या इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है?
मेस और कैंटीन क्षेत्र	क्या थाना में भोजनालय उपलब्ध है?
	क्या दीवारें और छत स्वच्छ, अच्छी स्थिति में और नमी से मुक्त हैं?
	क्या कमरे में उचित वेंटिलेशन है?

	क्या कमरे में उचित प्रकाश व्यवस्था है?
	क्या मेस का फर्श साफ रखा गया है?
	क्या मेस में पंखा/ कूलर की सुविधा उपलब्ध है?
थाने की सुरक्षा- CCTV कैमरे	क्या कैमरे काम कर रहे हैं?
	क्या कैमरों की कुल संख्या पूरे परिसर के लिए पर्याप्त है?
	क्या थाने के परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं?
	क्या थाने के अन्दर सीसीटीवी कैमरे हैं?
	क्या थाने के स्वागत क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे हैं?
	डेटा बैकअप कितने समय के लिए मेंटेन किया जाता है?
	बैकअप कहाँ रखा जाता है?
थाने की सुरक्षा- अग्नि सुरक्षा	क्या सभी तार और स्विच बोर्ड ठीक से ढके हुए, सुरक्षित (छिपी हुई नलिका में यो बैटन पर) हैं?
	क्या अग्निशामकों का समय-समय पर परीक्षण किया गया और वे काम कर रहे हैं?
	क्या पुलिस स्टेशन में फायर अलार्म है?
	क्या पुलिस स्टेशन में अग्नि सुरक्षा की अवसंरचना (रेत की बाल्टी, नली के पाइप, आदि) हैं?
	क्या थाने में अग्निशामक यंत्र है?
	क्या पुलिस थाने में एकत्रित होने की जगह उपलब्ध और अच्छी तरह से प्रदर्शित है?
खर्च	मांगपत्र देने के कितने महीने बाद एस.पी. ऑफिस से स्टेशनरी मिलता है?
	क्या थाने द्वारा अतिरिक्त स्टेशनरी के लिए अनुरोध करने का कोई प्रावधान है?
	क्या आपको मांगपत्र में दर्शाए गए सभी सामान मिलते हैं?
थाना प्रभारी के लिए प्रश्नावली	
मानव संसाधन	एचआर- कितने कर्मियों को बेसिक सीसीटीएनएस और बेसिक डेली ऑनलाइन रिपोर्ट में प्रशिक्षित किया गया है?
	एचआर- कितने कर्मियों को बुनियादी कंप्यूटर संचालन में प्रशिक्षित किया गया है?
	एचआर- महिला अपराध से संबंधित कानूनों में कितने कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है?
	एचआर- थाने में तैनात महिला कर्मचारियों की संख्या
	एचआर-पुलिस स्टेशन के लिए स्वीकृत महिला कर्मचारियों की संख्या
	एचआर- कितने कर्मियों को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) प्रशिक्षण में प्रशिक्षित किया जाता है?
	आईईसी/सामुदायिक आउटरीच पीआर कार्यकलाप-नागरिक जागरूकता के लिए किए गए कार्यक्रमों की संख्या
	थाने में पदस्थापित पुरुष कर्मचारियों की संख्या
	थाने के लिए स्वीकृत पुरूष कर्मचारियों की संख्या
आधारभूत संरचना	किसी भी एजेंसी द्वारा वर्ष में कितनी बार पेयजल सुविधा का निरीक्षण किया जाता है?
	मेस - मेस में खाना कौन बनाता है?
	बैरक- बिस्तर, बक्सा आदि की सुविधा बैरक में कौन प्रदान करता है?
	चाय कॉफी सुविधा और सामग्री के लिए कौन भुगतान करता है?
पिछले साल की घोषणा	क्या पिछले वर्ष हिरासत के दौरान किसी की मृत्यु हुई है?
	क्या पिछले वर्ष के दौरान पुलिस हिरासत से भागने का कोई मामला है?
	क्या पिछले वर्ष के दौरान किसी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कोई मामला दर्ज किया गया है?
	हिरासत में हुई मौतों की संख्या
	पिछले वर्ष के दौरान पीसी अधिनियम के तहत आरोपित पुलिस कर्मियों की संख्या
	पुलिस हिरासत से भागे हुए कैदियों की संख्या

वाहन	स्वीकृत चौपहिया वाहनों की संख्या
	कार्यशील चौपहिया वाहनों की संख्या
	स्वीकृत दुपहिया वाहनों की संख्या
	कार्यशील दोपहिया वाहनों की संख्या
	कितने वाहनों में जीपीएस टैग हैं?
	क्या जीपीएस टैग काम कर रहे हैं?
	RFID टैग कितने वाहनों में हैं?
कानून और व्यवस्था की स्थिति	पिछले एक महीने में कानून और व्यवस्था की घटनाओं की संख्या
	पिछले 24 घंटों में गिरफ्तारियां को क्या कोई बोर्ड प्रदर्शित करता है।?
	क्या आपके स्टेशनों में ऑन कॉल शिकायत प्रणाली मौजूद है और काम कर रही है?
	कॉल सेंटर के माध्यम से कितनी शिकायतें दर्ज हुई?
	शिकायत के लिए किस तरह की कार्रवाई की गई है?
	क्या हिस्ट्रीशीटर के लिए कोई रिकॉर्ड रखा जाता है?
हाउसकीपिंग और कार्मिक स्वच्छता	क्या हाउसकीपिंग स्टाफ उपलब्ध है?
	क्या हाउसकीपिंग स्टाफ की उपस्थिति रखी जाती है?
	क्या हाउसकीपिंग स्टाफ वर्दी पहनता है?
	क्या हाउसकीपिंग स्टाफ सुरक्षात्मक गियर यानी दस्ताने और मास्क, जूते का उपयोग करते हैं?
	क्या कर्मचारियों के पास उपयुक्त सफाई उपकरण हैं अर्थात (झाड़ू, धूल की टोकरियाँ, पोछा, और बाल्टी)?
	क्या शौचालय के लिए हाउसकीपिंग स्टाफ नियुक्त है?
	क्या दैनिक सफाई जांच सूची उपलब्ध है?
	क्या हाउसकीपिंग स्टाफ के लिए जगह उपलब्ध है?
	क्या दीवारें और छत साफ हैं यानी कोई जाला, दाग आदि नहीं हैं?
	क्या शौचालय में तिलचट्टे या चूहे दिखते हैं?
	क्या थाने में शौचालय उपलब्ध हैं?
	क्या पुलिस थाने में पुरुष और महिला के लिए अलग-अलग शौचालय हैं?
	क्या शौचालय में नल की सुविधा उपलब्ध है?
हाउसकीपिंग और कार्मिक स्वच्छता	क्या साबुन/हैंडवॉश सुविधा उपलब्ध है?
	क्या वाशरूम में फ्लश काम कर रहा है?
	क्या टॉयलेट सीट पर दाग, कूड़ा या अन्य कचरा नहीं है और वह साफ है?
	क्या शौचालय हवादार है?
	क्या शौचालय में उचित प्रकाश-व्यवस्था है?
	क्या शौचालयों में दुर्गंध आती है?
	क्या वाश बेसिन मौजूद है?
	शौचालय के फर्श की स्थिति कैसी है?
	वॉश बेसिन की हालत कैसी है?

अनुलग्नक -3: नागरिकों के सर्वेक्षण के लिए प्रश्नावली

उत्तरदाता श्रेणी	मुख्य सवाल
`	क्या पुलिस आपके क्षेत्र की निरंतर निगरानी करती है?
	क्या आपके क्षेत्र में अपराधों को सुलझाने में पुलिस सक्रिय है?
	अपराध की सूचना मिलने के बाद आपके क्षेत्र में पुलिस के पहुंचने का प्रतिक्रिया समय क्या है (संतोषजनक/असंतोषजनक)?
	क्या आपके क्षेत्र में आपसे कभी रिश्वत की मांग की गई है?
	क्या आपने कभी शिकायत दर्ज करने की कोशिश की है?
	क्या एफआईआर दर्ज करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध है?
	ऑनलाइन शिकायतों का निवारण करने में पुलिस को कितना समय लगता है?
	पुलिस से संपर्क करने का सबसे आसान तरीका क्या है?
	क्या आप अपने क्षेत्र में सुरक्षित महसूस करते हैं?
	क्या आपको लगता है कि पुलिस लोगो की मदद करती है?
	क्या बातचीत के दौरान जाति, धर्म, क्षेत्र (स्थानीय/गैर-स्थानीय) या हैसियत को लेकर पक्षपात स्पष्ट था?
	पिछले एक साल में क्या आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में पुलिस अधिक प्रभावी हुई है?
	आप पुलिस में किसी अपराध या शिकायत की रिपोर्ट करने में कितना सहज और आश्वस्त महसूस करते हैं?
	क्या आपने पिछले 2 महीनों में आस-पास के क्षेत्र में चोरी, छीना छपटी, सेंधमारी आदि का कोई मामला देखा है?
	पिछले 6 महीनों में क्या आपने किसी दुर्घटना के लिए पुलिस से संपर्क किया है?
	क्या जेब काटने/छीना छपटी/झगड़ा जैसे अपराध होने पर पुलिस सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करती है?
	क्या आपने अपने क्षेत्र में बर्किंग गतिविधियों को देखा है? यदि हाँ, तो कब देखा?
	पुलिस के साथ अपने समग्र अनुभव और उन सुझावों के बारे में बताएं जिन्हें आप साझा करना चाहते हैं
	क्या प्राथमिकी अधिकार (जैसे प्रति, समय-सीमा, प्रक्रिया की सूचना प्राप्त करने का अधिकार) थाने में परिलक्षित होता है?
	क्या पुलिस ने पिछले 6 माह में आपके क्षेत्र में कोई सामुदायिक जागरूकता या संपर्क गतिविधियां की हैं?
	क्या आप शिकायत दर्ज करने के लिए किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन टूल से अवगत हैं और उसका प्रयोग किया है? यदि हां, तो वह कितना असरदार था?
	आपको अपने थाने में प्रथमिकी दर्ज कराना कितना आसान या कठिन प्रतीत हुआ?
बाज़ार में दुकानदार	क्या आपके क्षेत्र में पुलिस गश्त नियमित रूप से हो रही है?
	क्या आप अपने क्षेत्र के बीट कांस्टेबलों से परिचित हैं और क्या वे आपसे बातचीत करते हैं?
	क्या आपने कभी पुलिस में शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की है?
	क्या एफआईआर दर्ज करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध है?
	ऑनलाइन शिकायतों का निवारण करने में पुलिस को कितना समय लगता है?
	पुलिस से संपर्क करने का सबसे आसान तरीका क्या है?
	क्या आपके क्षेत्र में आपसे कभी रिश्वत की मांग की गई है? (राशि और नियमितता/अवधि)
	आप अपने क्षेत्र में कितना सुरक्षित महसूस करते हैं?
	क्या आपको लगता है कि पुलिस लोगों की मदद करती है?
	क्या बातचीत के दौरान जाति, धर्म, क्षेत्र (स्थानीय/गैर-स्थानीय) या हैसियत संबंधित कोई पक्षपात प्रतीत हुआ?
	क्या एक महिला/लड़की के रूप में आपके प्रति कोई लैंगिक भेदभाव दिखाया गया?

	क्या आपने पिछले 6 महीनों में बाजार में चोरी, छीना-छपटी, सेंधमारी आदि का कोई मामला देखा है?
	क्या पुलिस बाजार में भीड़ को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करती है?
	क्या बाजार में कोई अनधिकृत स्टॉल होने पर पुलिस आवश्यक कार्रवाई करती है?
उत्तरदाता श्रेणी	**मुख्य प्रश्न**
	पिछले 6 माह में क्या आपने बाजार में चोरी, छीना-झपटी, सेंधमारी का कोई मामला देखा है?
	क्या पुलिस, हाट में भीड़ को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करती है?
	क्या पुलिस बाजार में किसी अनधिकृत स्टॉल के मामले में कोई आवश्यक कार्रवाई करती है?
	क्या प्राथमिकी संबंधी अधिकार (जैसे प्रति, समय-सीमा, प्रक्रिया की सूचना का आधार) थाने में स्पष्ट परिलक्षित होता है?
	क्या आपके क्षेत्र की पुलिस ने पिछले 6 माह में सामुदायिक जागरूकता या संपर्क गतिविधियां की हैं?
	क्या आप शिकायत दर्ज करने के लिए किसी डिजिटल प्लेटाफार्म या ऑनलाइन टूल से परिचित हैं और उसका प्रयोग किया है? यदि हां, तो वह कितना प्रभावी था?
	आपके लिए, आपके थाने में प्राथमिकी दर्ज कराना कितना आसान या कठिन था?
जनता की प्रतिक्रिया-पुलिस थाने से लौट रहे लोग	क्या आप शिकायत/एफआईआर दर्ज कराने के लिए आए थे?
	क्या आप अपनी प्राथमिकी/शिकायत दर्ज करा पाये?
	शिकायत/एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया कितनी आसान या कठिन थी?
	क्या आपने आने से पहले इंटरनेट के माध्यम से शिकायत दर्ज करने का प्रयास किया था?
	क्या ऑनलाइन शिकायत पर कोई कार्रवाई की गई?
	ऑनलाइन शिकायत की सुनवाई करने में पुलिस को कितना समय लगा?
	क्या आपको प्राथमिकी/शिकायत की प्रति (पुष्टिकरण) मोबाइल/फोन/किसी अन्य के माध्यम से प्राप्त हुई है?
	क्या प्राथमिकी/शिकायत को कमज़ोर करने का पुलिस द्वारा कोई प्रयास किया गया था?
	क्या आपको शिकायत की प्रति दी गई थी?
	क्या पुलिसकर्मी ने नेम प्लेट लगा रखी थी?
	क्या पुलिस ने रिश्वत की कोई मांग की थी?
	महिला शिकायतकर्ता के मामले में क्या थाने में शिकायत में मदद करने के लिए कोई महिला पुलिसकर्मी थी?
	क्या एक महिला/लड़की के रूप में आपके प्रति कोई लैंगिक लिंग भेदभाव किया गया था?
	क्या बातचीत के दौरान जाति, धर्म, क्षेत्र (स्थानीय/बाहरी) या हैसियत संबंधी पक्षपात स्पष्ट था?
	क्या पुलिस आपकी शिकायत पर ध्यान दे रही थी?
	क्या स्टाफ विनम्र और सम्मानजनक था?
	क्या पुलिस कर्मियों ने आपकी शिकायतों का समाधान करने का प्रयास किया?
	क्या थाने में अच्छी साफ-सफाई थी?
	क्या आप अपने क्षेत्र में सुरक्षित महसूस करते हैं?
	क्या आपने अपने क्षेत्र में बर्किंग गतिविधियों को देखा है? यदि हाँ, तो कब देखा?
	अपने पिछले दौरे की तुलना में क्या आपने पुलिस संस्कृति या व्यवस्था में कोई सुधार देखा है?

Back Cover (inner side)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय